भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001

आरबीआई /2014-15/12
मास्टर परिपत्र सं.05/2014-15

1 जुलाई 2014
(24 जुलाई 2014 तक अद्यतन)

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

महोदया /महोदय,

मास्टर परिपत्र - जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक लेनदेन

विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) संविदाएं, समुद्रपारीय (विदेशी) पण्य और भाड़ा संबंधी हेजिंग, अनिवासी बैंकों के रुपये खाते, अंतर बैंक विदेशी मुद्रा लेनदेन, आदि 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.1/2000-आरबी, अधिसूचना सं. फेमा.3/आरबी-2000 के विनियम 4(2) और अधिसूचना सं. फेमा. 25/आरबी-2000 के प्रावधानों और बाद में उसमें किए गए संशोधनों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

2. नए अनुदेश जारी होने पर, इस मास्टर परिपत्र को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। मास्टर परिपत्र किस तारीख तक अद्यतन है, इसका उचित रूप में उल्लेख किया जाता है।

3. सामान्य मार्गदर्शन के लिए इस मास्टर परिपत्र का संदर्भ लिया जाए। आवश्यक हो ने पर विस्तृत जानकारी के लिए प्राधिकृत व्यक्ति और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक संबंधित परिपत्रों/अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।

भवदीय,

(बी.पी.कानूनगो)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

<u>अनुक्रमणिका</u>

भाग-ए
जोखिम प्रबंधन
खंड -I
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I को छोड़कर भारत में निवासी व्यक्तियों के लिए सुविधाएं
खंड-II
भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों के लिए सुविधाएं
खंड-III
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के लिए सुविधाएं
भाग-बी
अनिवासी बैंकों के खाते
भाग – सी
अंतर बैंक विदेशी मुद्रा कारोबार(लेनदेन)
भाग-डी
रिज़र्व बैंक को रिपोर्टें प्रस्तुत करना
संलग्नक I
संलग्नक II
संलग्नक III
संलग्नक IV
संलग्नक V
संलग्नक VI
संलग्नक VII
संलग्नक VIII
संलग्नक IX
संलग्नक X
संलग्नक XI
संलग्नक XII
संलग्नक XIII
संलग्नक XIV
संलग्नक XV
संलग्नक XVI
संलग्नक XVII
संलग्नक XVIII
संलग्नक XIX
संलग्नक XX
परिशिष्ट

भाग -ए
जोखिम प्रबंध
खंड I

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी –I को छोड़कर भारत में निवासी व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

भारत में निवासी व्यक्तियों (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंकों को छोड़कर) के लिये सुविधाएं निम्नलिखित पैराग्राफ 'ए' तथा 'बी' में दी गई हैं। **पैराग्राफ "ए"** में उत्पाद तथा संबंधित उत्पादों के संबंध में परिचालनीय दिशानिर्देश दिए गए हैं। उक्त पैराग्राफ"ए" में परिचालनीय दिशानिर्देशों के अतिरिक्त सामान्य अनुदेश भी दिए गए हैं जो निवासियों (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के अतिरिक्त) के लिए सभी उत्पादों पर समान रूप से लागू हैं और जिनका वर्णन नीचे **पैराग्राफ "बी"** में किया गया है।

ए. उत्पाद तथा परिचालनात्मक दिशानिर्देश

भारत में निवासी व्यक्तियों (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के अतिरिक्त) के लिए उत्पाद/ प्रयोजनवार सुविधाएं निम्नलिखित उपशीर्षों में दी गई हैं:

1) संविदागत एक्स्पोज़र
2) संभावित एक्स्पोज़र
3) विशेष छूट

1) <u>संविदागत एक्स्पोजर</u>

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक अंतर्निहित दस्तावेजों को साक्ष्यांकित करें ताकि अंतर्निहित विदेशी मुद्रा एक्स्पोजरों की मौजूदगी स्पष्ट रूप से ज्ञात हो सके। भले ही लेनदेन चालू खाते के हों या पूंजी खाते के, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को दस्तावेजी साक्ष्यों के सत्यापन के मार्फत अंतर्निहित एक्स्पोजरों की मौलिकता से संतुष्ट होना चाहिए। मूल दस्तावेजों पर संविदा के पूरे ब्योरे/विवरण उचित प्रमाणन के तहत मार्क किए जाएं तथा उन्हें सत्यापन के लिए सुरक्षित रखा जाए। तथापि, जहाँ मूल दस्तावेजों की प्रस्तुति संभव न हो, वहाँ यूजर के अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित की हुई मूल दस्तावजों की प्रतिलिपि प्राप्त की जाए। इनमें से किसी भी मामले में संविदा का प्रस्ताव (आफर) देने से पूर्व प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक ग्राहक से तत्संबंध में वचनपत्र एवं उसके सांविधिक लेखापरीक्षक से तिमाही विवरण भी प्राप्त करें (ब्योरे के लिए सामान्य अनुदेशों हेतु **पैरा "बी"** (बी) देखें। जबकि संविदा बुक करते समय अंतर्निहित लिखत के ब्योरे दर्ज किए जाने हैं, तथापि, अन्य पूरक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम 15 दिनों का समय दिया जा सकता। यदि ग्राहक 15 दिनों में दस्तावेज प्रस्तुत न करे तो संविदा को रद्द कर दिया जाए तथा विदेशी मुद्रागत लाभ, यदि कोई हुआ हो, ग्राहक को न दिया जाए। किसी वित्तीय वर्ष में किसी ग्राहक द्वारा 15 दिनों में दस्तावेजों के प्रस्तुत न करने के 3 से अधिक अवसरों/मामलों के होने पर भविष्य में संविदा बुक करते समय अनुमत डेरिवेटिव संविदाएं केवल अंतर्निहित दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर ही बुक की जाएं।

इस सुविधा के अंतर्गत निम्नलिखित उत्पाद उपलब्ध हैं:

i) <u>वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं</u>

<u>सहभागी</u>

मार्केट मेकर- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

यूजर(उपयोगकर्ता)- भारत में निवास करने वाले व्यक्ति

प्रयोजन/उद्देश्य

ए) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 या उसके अंतर्गत बनाए गए/ जारी नियमों/विनियमों/निदेशों/अनुदेशों के अनुसार अनुमत विदेशी मुद्रा के विक्रय और/या क्रय करने संबंधी लेनदेनों के बाबत विनिमय दर को सुरक्षित (हेज) करने के लिए।

बी) प्रत्यक्ष विदेशी (समुद्रपारीय) निवेशों (ईक्विटी या ऋणों में) के बाजार मूल्य के संबंध में विनिमय दर जोखिम को सुरक्षित (हेज) करने के लिए।

i) प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों (ODI) को कवर करने वाली संविदाओं को नियत तारीख को रद्द या रोल ओवर किया जा सकता है।

ii) यदि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बाजार मूल्य में संकुचन (कीमतों के संचलन/क्षरण होने) के कारण हेज पूर्णत: या अंशत: खुल जाता (naked हो जाता) है तो ग्राहक की सहमति से हेज को परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। देय (ड्यू) तारीख को रोल ओवर तद्दिनांक के बाजार मूल्य की सीमा तक दिया जा सकता है।

सी) विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गीकृत किन्तु रुपए में भुगतान/निपटान किए जाने वाले लेनदेनों संबंधी विनिमय दर जोखिम, जिसमें आयात पर भुगतान किए जाने वाले सीमाशुल्क से संबंधित आयातक के आर्थिक (करेंसी इंडेक्स) एक्स्पोजर शामिल हैं, को हेज करने के लिए।

i) ऐसे लेनदेनों को अंतर्विष्ट करने वाली वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं का निपटान/भुगतान परिपक्वता पर नकद किया जाएगा।

ii) ये संविदाएं एक बार रद्द होने पर फिर से बुक होने की पात्र नहीं हैं।

iii) वायदा संविदा की तारीख के बाद सरकारी अधिसूचना से सीमाशुल्क दर (दरों) में परिवर्तन होने पर आयातकर्ताओं को परिपक्वता से पूर्व संविदा/ संविदाओं को रद्द करने और/या फिर से बुक करने की अनुमति दी जाएगी।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश तथा शर्तें

वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के लिए पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत इस प्रकार हैं:

ए) हेज की परिपक्वता अवधि, अंतर्निहित लेनदेन की परिपक्वता अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। उल्लिखित प्रतिबंधो (शर्तों) के तहत हेज की जाने वाली मुद्रा तथा उसकी अवधि ग्राहक की इच्छा पर निर्भर होगी। जहाँ हेज की गई मुद्रा अंतर्निहित एक्स्पोजर से भिन्न हो, वहाँ कारपोरेट के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में ऐसी हेजिंग के लिए अनुमति होनी चाहिए।

बी) जहाँ अतर्निहित लेनदेन की राशि ठीक-ठीक सुनिश्चित न की जा सकती हो, वहाँ तर्कसंगत/सुसंगत अनुमान के आधार पर संविदा बुक की जा सकती है। तथापि, इन अनुमानों की आवधिक समीक्षा होनी चाहिए।

सी) विदेशी मुद्रा ऋण/बांड हेजिंग के लिए तभी पात्र होंगे जब इस संबंध में, जहाँ आवश्यक हो, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी गई हो या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऋण पंजीकरण नंबर (LRN) आबंटित कर दिया गया हो।

डी) ग्लोबल डिपाजिटरी रसीदें/अमरीकी डिपाजिटरी रसीदें निर्गम (इश्यू) की कीमत/मूल्य को अंतिम रूप दिए जाने पर ही हेजिंग के लिए पात्र होंगी।

ई) विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी खातेगत जमाशेष, जिन्हें खाताधारक द्वारा वायदा के रूप में बेचा गया हो, सुपुर्दगी के लिए चिह्नित रहेंगे तथा ये संविदाएं रद्द नहीं होंगी। हालांकि, वे परिपक्वता पर

रोल ओवर के लिए पात्र होंगी।

एफ) संविदागत एक्स्पोज़रों के मामले में, एक वर्ष अथवा उससे कम अवशिष्ट अवधि वाली वायदा संविदाएं, जिनमें से एक मुद्रा रुपया है, सभी चालू खातेगत लेनदेनों के साथ ही साथ पूंजी खातेगत लेनदेनों के लिए मुक्त रूप में बुक और रद्द की जा सकती हैं।

जी) सभी हेज लेनदेनों के लिए निवासियों द्वारा बुक की गई वायदा संविदाओं के मामले में, जिनमें से एक मुद्रा रुपया है, यदि एक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ रद्द की जाती हैं तो उन्हें निम्नलिखित शर्तों के तहत अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ बुक किया जा सकता है:

i) मूल संविदा की बुकिंग जिस प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ हुई हो उसके साथ बैंकिंग संबंध समाप्त होने पर, प्रतियोगी दर पर दी गयी सुविधा के लिए, इसे बदला (स्विच किया) जा सकता है;

ii) संविदा की परिपक्वता की तारीख पर संविदा को रद्द करने तथा पुन: बुकिंग करने का काम साथ-साथ किया जाए; और

iii) यह सुनिश्चित करने का दायित्व कि मूल संविदा रद्द हो गई है संविदा की पुन: बुकिंग करने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक की होगी।

एच) सभी गैर भारतीय रुपया (Non-INR) वायदा संविदाएं रद्द किए जाने पर निम्नलिखित मद (आई) में दी गयी शर्तों के तहत फिर से बुक की जा सकती हैं।

आई) संविदा बुक करने की सुविधा तब तक न दी जाए जब तक कि संलग्नक "V" में यथा विनिर्दिष्ट एक्स्पोजर की सूचना कारपोरेट द्वारा न दे दी जाए।

जे) प्रतिस्थापन के आवश्यक होने की परिस्थिति से संतुष्ट होने पर ही प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक द्वारा ट्रेड संबंधी लेनदेनों की हेजिंग की संविदा को प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक अंतर्निहित प्रतिस्थापित लिखत की राशि एवं अवधि का सत्यापन करें।

ii) <u>रुपए से भिन्न क्रास करेंसी आप्शंस</u>

<u>(Cross Currency Options (not involving rupee))</u>

<u>सहभागी</u>

मार्केट-मेकर्स-भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

उपयोगकर्ता(यूजर)-भारत में निवास करने वाले व्यक्ति

<u>प्रयोजन</u>

ए) ट्रेड लेनदेनों से उत्पन्न विनिमय दर जोखिमों को हेज करना।

बी) विदेशी मुद्रा में टेंडर बिड प्रस्तुत करने से उत्पन्न आकस्मिक विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर को हेज करना।

<u>परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें</u>

ए) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक केवल प्लेन वनीला यूरोपीय आप्शंस [1] का प्रस्ताव (आफर) कर सकते हैं।

बी) ग्राहक *काल* या *पुट* आप्शंस की खरीद कर सकते हैं।

सी) अंतर्निहित लिखतों के सत्यापन के तहत इन लेनदेनों को मुक्त रूप में बुक और/या रद्द किया जा

[1] यूरोपीय आप्शंस, आप्शंस की समाप्ति, अर्थात एक पूर्व निर्दिष्ट समय पर, की तारीख पर ही प्रयोग किए जा सकते हैं।

सकता है।

डी) क्रास करेंसी वायदा सविदाओं के संबंध में लागू सभी दिशानिर्देश क्रास करेंसी आप्शंस संविदाओं पर भी लागू हैं।

ई) क्रास करेंसी आप्शंस प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक द्वारा पूर्णत: कवर किए गए बैक-टू-बैक आधार पर लिखे जाने चाहिए। कवर ट्रांजैक्शन भारत से बाहर स्थित बैंक, विशेष आर्थिक जोन में स्थापित अपतटीय (आफशोर) बैंकिंग यूनिट या अंतर्राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त आप्शंस एक्स्चेंज या भारत स्थित किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ किए जा सकते हैं। आप्शंस लिखने के इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को चाहिए कि वे प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय भवन, 11वीं मंज़िल, मुंबई-400001 से यह कारोबार करने से पूर्व एक बार अनुमोदन लें।

iii) विदेशी मुद्रा-भारतीय रुपया आप्शंस (आईएनआर आप्शंस)

सहभागी

मार्केट-मेकर्स- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन हेतु अनुमोदित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

उपयोगकर्ता(यूजर)-भारत में निवास करने वाले व्यक्ति

प्रयोजन

ए) 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.25/2000-आरबी, समय-समय पर यथासंशोधित, की अनुसूची I के अनुसार विदेशी मुद्रा एक्स्पोज़र को हेज करना।

बी) विदेशी मुद्रा में टेंडर बिड प्रस्तुत करने से उत्पन्न आकस्मिक विदेशी मुद्रा एक्स्पोज़र को हेज करना।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

ए) न्यूनतम 9% का जोखिम भारित पूंजी अनुपात(CRAR) रखने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक बैक-टू-बैक आधार पर विदेशी मुद्रा आईएनआर आप्शंस का प्रस्ताव (आफर) दे सकते हैं।

बी) वर्तमान में (संप्रति) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक प्लेन वनीला यूरोपीय आप्शंस का प्रस्ताव दे सकते हैं।

सी) ग्राहक *काल* या *पुट* आप्शंस की खरीद कर सकते हैं।

डी) विदेशी मुद्रा- आईएनआर विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं के संबंध में लागू सभी दिशानिर्देश विदेशी मुद्रा- आईएनआर आप्शंस संविदाओं पर भी लागू हैं।

ई) पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण, जोखिम की निगरानी/प्रबंधन प्रणाली, मार्क-टू-मार्केट मेकेनिज्म, आदि से सुसज्जित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, विनिर्दिष्ट शर्तों के साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से विदेशी मुद्रा आईएनआर आप्शंस बुक करने का कारोबार कर सकते हैं। निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक जो विदेशी मुद्रा-आईएनआर आप्शंस का कारोबार करने के इच्छुक हों, वे सक्षम प्राधिकारी (बोर्ड)/जोखिम प्रबंधन समिति/आल्को) से प्राप्त अनुमोदन, इस संबंध में विस्तृत मेमोरेंडम, बोर्ड के विशेष अनुमोदन जिसमें लिखे जाने वाले आप्शंस के प्रकार और सीमा का उल्लेख हो, की प्रतिलिपि के साथ विशिष्ट मंजूरी हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन करें। बोर्ड को प्रस्तुत मेमोरेंडम में, अन्य बातों के साथ-साथ, इस संबंध में संभावित जोखिम का स्पष्ट रूप से जिक्र भी हो।

---

[2] लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा यथा ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के 4 अप्रैल 2007 के परि. सं. ग्राआऋवि.प्लान.बीसी.सं. 63/06.02.31/2006-07 में दी गई है।

पात्रता संबंधी न्यूनतम मानदण्ड

i) निवल मालियत रु. 300 करोड़ से कम न हो;

ii) CRAR का अनुपात 10% से कम न हो;

iii) निवल अनर्जक परिसंपत्तियाँ निवल अग्रिमों के 3% से अधिक न हों;

iv) न्यूनतम विगत तीन वर्षों से लगातार लाभ अर्जित हो रहा हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक प्रस्तुत आवेदनपत्रों पर विचार करेगा तथा स्वविवेकानुसार एकमुश्त मंजूरी देगा। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों से अपेक्षित है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन सीमा में ही अपने आप्शंस पोर्टफोलियो को प्रबंधित करें।

एफ) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक आप्शंस प्रीमियम को रुपए में या रुपए/सांकेतिक विदेशी मुद्रा के प्रतिशत के रूप में दें।

जी) आप्शंस की परिपक्वता पर उनका भुगतान/निपटान संविदा में किए गए उल्लेखानुसार या तो स्पॉट आधार पर सुपुर्दगी द्वारा या स्पॉट आधार पर निवल नकद (भुगतान के) रूप में किए जाएं। यदि परिपक्वता से पूर्व सौदे (लेनदेन) को समाप्त (unwind) किया जाए तो समरूपी आप्शंस को बाजार मूल्य पर घटाकर नकद भुगतान/निपटान किया जाए।

एच) मार्केट मेकर्स को इस बात की अनुमति है कि वे स्पॉट और वायदा बाजार में पहुंचकर अपने आप्शंस पोर्टफोलियो के "डेल्टा" को हेज कर सकें। अन्य एक्स्पोज़रों (other Greeks) को अंतर- बैंक मार्केट में आप्शंस लेनेदेन के मार्फत हेज किया जा सकता है।

आई) आप्शंस संविदा का "डेल्टा" रात्रिभर खुली स्थिति का हिस्सा होगा।

जे) प्रत्येक परिपक्वता के अंत में "डेल्टा" के बराबर राशि को AGL के प्रयोजन से हिसाब में लिया जाएगा। विभिन्न परिपक्वता बकेट्स के अंतर्गत ग्रुपिंग के प्रयोजन के लिए प्रत्येक बकाया आप्शन की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि को आधार के रूप में लिया जाएगा।

के) आप्शन बुक चला रहे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को इस बात की अनुमति है कि विदेशी मुद्रा-आईएनआर आप्शंस बाजार में मार्केट मेकिंग से उत्पन्न जोखिमों को कवर करने के लिए वे प्लेन वनीला क्रास करेंसी आप्शन पोजीशन प्रारंभ कर सकें।

एल) बैंक पोर्टफोलियो को दैनिक आधार पर मार्क-टू-मार्केट करने के लिए आवश्यक प्रणाली लागू करें। फेडाई (FEDAI) पूल्ड इम्प्लाइड वोलाटाइलिटी इस्टीमेट की दैनिक मैट्रिक्स प्रकाशित करेगी जिसे मार्केट में भाग लेने वाले/के भागीदार अपने पोर्टफलियो को मार्क-टू-मार्केट प्रयोजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

एम) आप्शंस संविदाओं के लिए लेखा-फ्रेमवर्क फेडाई के 29 मई 2003 के परिपत्र सं. SPL.24/FC-Rupee Options/2003 के अनुसार होगा।

iv) <u>विदेशी मुद्रा-आईएनआर स्वाप</u>

<u>**सहभागी**</u>

मार्केट-मेकर्स- भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

उपयोगकर्ता(यूजर)-

i. विदेशी मुद्रा देयता वाले निवासी जो विदेशी मुद्रा-आईएनआर स्वाप का आश्रय विदेशी मुद्रा देयता से हटकर रुपया देयता में आने के लिए करते हैं।

ii. निगमित निवासी कंपनी/संस्थाएं जिनके पास रुपया देयताएं हैं और वे रुपया देयता से विदेशी मुद्रा देयता में जाने के लिए आईएनआर-विदेशी मुद्रा स्वाप का आश्रय लेते हैं, बशर्ते वे जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्राकृतिक हेजिंग या आर्थिक एक्स्पोजर जैसी कतिपय न्यूनतम विवेकपूर्ण अपेक्षाओं को

पूरा करते/करती हों। प्राकृतिक हेजिंग या आर्थिक एक्स्पोजर के अभाव में आईएनआर-विदेशी मुद्रा स्वाप(रुपया देयता से विदेशी मुद्रा देयता में संचरण हो) की सुविधा सूचीबद्ध कंपनियों **या** 200 करोड़ रुपये की निवल मालियत तक की गैर सूचीबद्ध कंपनियों तक सीमित होगी। इसके अलावा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैकों से अपेक्षित है कि वे स्वाप की उपयुक्तता तथा औचित्य की जांच तथा कंपनी (कारपोरेट) की वित्तीय सुदृढ़ता से संतुष्ट हो लें।

<u>**प्रयोजन**</u>

जिनके पास दीर्घावधि विदेशी मुद्रा उधार हैं या जो दीर्घावधि आईएनआर उधार को विदेशी मुद्रा देयता में परिवर्तित करना चाहते हैं उनके लिए विनिमय दर और/या ब्याज दर जोखिम संबंधी एक्स्पोजर को हेज करने की सुविधा उपलब्ध कराना।

<u>**परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें**</u>

ए) पहले रुपए में या उसके समतुल्य भुगतान करने के लेनदेन वाले स्वाप नहीं किए जाएंगे।

बी) "दीर्घावधि एक्स्पोजर" का अर्थ एक वर्ष या अधिक अवधि की अवशिष्ट परिपक्कता संबंधी एक्स्पोजर से है।

सी) स्वाप लेनदेन जो एक बार रद्द किए जाएंगे उन्हें किसी भी तरीके या नाम से न तो फिर से बुक किया जाएगा न ही उनका पुन: सौदा किया जाएगा।

डी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को विशेष सुविधायुक्त स्वाप ढांचे(leveraged swap structure) का प्रस्ताव नहीं करना चाहिए। खासतौर से, लेवेरेज्ड स्वाप स्ट्रक्चर में यूनिटी से इतर बहुआयामी तत्व बेंचमार्क दर (दरों) से संबंध रखते हैं जो ऐसी स्थिति के अभाव में प्राप्य या देय राशि में बदलाव लाते हैं।

ई) स्वाप की अनुमानित (notional) मूल राशि अंतर्निहित ऋण की बकाया राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

एफ) स्वाप की परिपक्कता अंतर्निहित ऋण की शेष परिपक्कता अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

v) लागत घटाने के ढांचे (cost reduction structures) अर्थात क्रास करेंसी आप्शंस लागत घटाने के ढांचे और विदेशी मुद्रा-आईएनआर आप्शंस लागत घटाने के ढांचे।

<u>**सहभागी**</u>

मार्केट-मेकर्स- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

उपयोगकर्ता(यूजर)-सूचीबद्ध कंपनियाँ और उनकी सहायक/ज्वाइंट-वेंचर/सहयोगी कंपनियाँ जिनके कोष साझे तथा तुलनपत्र समेकित होते हैं या न्यूनतम रु. 200 करोड़ की निवल मालियत वाली गैर सूचीबद्ध कंपनियाँ जो निम्नलिखित बातों का अनुपालन करती हैं:

ए) ऐसे सभी उत्पाद प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को उचित मूल्य पर आंके जाते हैं;

बी) कंपनियाँ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के अन्य लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों का ऐसे उत्पादों/संविदाओं के मामले में अनुसरण करती हैं, साथ ही विवेकपूर्ण सिद्धांतों को अपनाती हैं जिनके तहत प्रत्याशित हानियों को संज्ञान में लेना एवं अप्राप्त लाभों को हिसाब में न लेना अपेक्षित है;

सी) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की 2 दिसंबर 2005 की प्रेस प्रकाशनी में किए गए विनिर्देशन के अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किए जाते हैं; और

डी) कंपनियों की नीति में जोखिम प्रबंधन नीति संबंधी विशेष उपबंध होता है जो लागत घटोत्तरी ढांचे के प्रकार/रों को अपनाने की अनुमति देते हैं।

(नोट: उल्लिखित लेखांकनों का प्रयोग संक्रांतिकालीन व्यवस्था है जब तक कि लेखांकन मानक 30/32 या उनके समान मानक अधिसूचित नहीं कर दिए जाते हैं।)

प्रयोजन

ट्रेड लेनदेनों, बाह्य वाणिज्यिक उधार और एफसीएनआर(बी) जमाराशियों की जमानत पर घरेलू स्तर पर लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न विनिमय दर संबंधी जोखिमों को हेज करना।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

ए) यूजरों द्वारा, अकेले /एकल आधार पर, आप्शंस लिखने की अनुमति नहीं है।

बी) यूजर यूरोपीय प्लेन वनीला आप्शंस की एक साथ बिक्री तथा खरीद कर आप्शंस रणनीति में भाग ले सकते हैं/उतर सकते हैं, बशर्ते प्रीमियम की निवल प्राप्ति न हो।

सी) लेवरेज्ड स्ट्रक्चर्स, डिजिटल आप्शंस, बैरियर आप्शंस, उपचित होने की रेंज और कई अन्य विदेशागत/जटिल (exotic) उत्पाद अनुमत नहीं हैं।

डी) दीर्घतम परिकल्पित स्ट्रक्चर का अंश, जो स्ट्रक्चर की अवधि के ऊपर परिगणित हुआ हो, को अंतर्निहित प्रयोजन के लिए शामिल किया जाएगा।

ई) शर्तों संबंधी दस्तावेज में आप्शंस की डेल्टा संबंधी बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

एफ) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को विदेशी मुद्रा परिचालनों (कारोबार) के आकार तथा यूजर की जोखिम प्रोफाइल के मद्देनज़र लगातार लाभप्रदता, उच्चतर मालियत, पण्यावर्त (टर्न ओवर), आदि के संबंध में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को विनिर्दिष्ट करना चाहिए।

जी) हेज की परिपक्वता अवधि अंतर्निहित लेनदेन की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसी शर्त के अधीन यूजर हेज की अवधि का चयन करें। यदि ट्रेड लेनेदेन अंतर्निहित हों तो स्ट्रक्चर की अवधि दो साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

एच) मार्क-टू- मार्केट स्थिति की सूचना आवधिक आधार पर यूजर को दी जानी चाहिए।

vi) **विदेशी मुद्रा में लिए गए उधार की हेजिंग** जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली, 2000 के उपबंधों के अनुसार हैं।

उत्पाद-ब्याज दर स्वाप, क्रास करेंसी स्वाप, कूपन स्वाप, क्रास करेंसी आप्शन, ब्याज दर कैप या कॉलर(क्रय), वायदा दर अग्रिम (FRA)

सहभागी

मार्केट-मेकर्स-

ए) भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

बी) भारत में विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत भारतीय बैंक की विदेश स्थित शाखा

सी) भारत में विशेष आर्थिक जोन स्थित अपतटीय बैंकिंग यूनिट (Offshore banking unit in SEZ in India)

उपयोगकर्ता(यूजर)

भारत में निवास करने वाले व्यक्ति जिन्होंने विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली, 2000 के उपबंधों के अनुसार उधार लिया है।

प्रयोजन

ऋण-एक्स्पोजरों पर ब्याज दर जोखिमों तथा मुद्रा संबंधी जोखिमों एवं किए गए ऐसे हेज के निपटान के लिए हेज करना।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

ए) जैसाकि उल्लेख किया गया है इन उत्पादों में किसी भी परिस्थिति में रुपया शामिल नहीं होना चाहिए।

बी) विदेशी मुद्रा में उधार लेने के लिए अंतिम अनुमोदन/मंजूरी या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित ऋण पंजीकरण संख्या (LRN) होना चाहिए।

सी) उत्पाद की कल्पित (notional) मूल राशि विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण की बकाया राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

डी) उत्पाद की परिपक्वता अवधि अंतर्निहित ऋण की शेष रही परिपक्वता/अदायगी किए जाने की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ई) संविदाएं मुक्त रूप में रद्द एवं फिर से बुक की जा सकती हैं।

2. विगत निष्पादन के आधार पर संभावित जोखिम

सहभागी

मार्केट-मेकर्स-भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

उपयोगकर्ता (यूजर)-माल तथा सेवाओं के आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ता।

प्रयोजन- विगत तीन वित्तीय वर्षों (अप्रैल से मार्च) के दौरान वास्तविक आयात/ निर्यात पण्यावर्त (टर्नओवर) या विगत वर्ष के वास्तविक आयात/निर्यात पण्यावर्त (टर्नओवर), में से जो भी उच्चतर हो, के औसत के आधार पर एक्स्पोजर के संबंध में की गई घोषणा तथा विगत निष्पादन के आधार पर मुद्रा जोखिम को हेज करना। पण्य माल/सौदे के साथ ही साथ सेवाओं के ट्रेड के संबंध में विगत निष्पादन के आधार पर संभावित एक्स्पोजर को हेज किया जा सकता है।

उत्पाद

वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं, क्रास करेंसी आप्शंस (जिसमें रुपया शामिल न हो), विदेशी मुद्रा-आईएनआर आप्शंस और लागत घटाने वाले स्ट्रक्चर्स (जैसाकि खंड "बी" के पैरा I 1(v) में उल्लेख है)।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

ए) रु. 200 करोड़ की न्यूनतम निवल मालियत तथा रु. 1000 करोड़ से अधिक के वार्षिक निर्यात और आयात पण्यावर्त वाले कारपोरेट जो खंड "बी" के पैरा I 1(v) में विनिर्दिष्ट सभी अन्य शर्तें पूरी करते हैं को लागत घटाने वाले स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है।

बी) वर्तमान वित्तीय वर्ष (अप्रैल- मार्च) में बुक की गई संविदाएं और किसी भी समय शेष रही संविदाएं निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहिए :-

i. पात्रता सीमा अर्थात विगत तीन वर्षों के वास्तविक आयात/निर्यात पण्यावर्त (टर्नओवर) के औसत या विगत वर्ष के वास्तविक आयात/निर्यात पण्यावर्त (टर्नओवर), में से निर्यात के लिए जो भी उच्चतर हो।

ii. विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वास्तविक आयात पण्यावर्त(टर्नओवर) के औसत या विगत

वर्ष के वास्तविक आयात पण्यावर्त(टर्नओवर), में से जो भी आयात के लिए उच्चतर हो, की पात्रता सीमा के 50 प्रति शत तक। जिन आयातकों ने चालू वर्ष के दौरान पिछली पात्रता सीमा के 25 प्रतिशत तक संविदाएं बुक की हैं, वे बढ़ी हुई सीमा (के अंतर) तक बुकिंग करने के लिए पात्र होंगे।

सी) उपर्युक्त पैरा (बी)(i) एवं (बी)(ii) में यथा उल्लिखित पात्रता सीमा के 75% तक बुक की गई संविदाओं को निर्यातक/आयातक द्वारा, मामले के अनुसार, हानि अथवा लाभ सहित रद्द कर सकता है। उपर्युक्त पैरा (बी)(i) एवं (बी)(ii) में यथा उल्लिखित पात्रता सीमा के 75% से अधिक बुक की गई संविदाएं सुपुर्दगी के आधार पर होंगी और उन्हें रद्द नही किया जा सकेगा, जिसका तात्पर्य यह है कि रद्द करने की स्थिति में निर्यातक/ आयातक को हानि उठानी पड़ सकती है किन्तु वे लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

डी) ये सीमाएं निर्यात तथा आयात लेनदेनों के लिए अलग-अलग गिनी/परिगणित की जाएंगी।

ई) विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन करने पर मामले दर मामले के आधार पर सीमा बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। यह अतिरिक्त सीमा, यदि मंजूर की जाएगी तो वह सुपुर्दगी के आधार पर होगी।

एफ) बिना दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए बुक की गई संविदा, यदि कोई होगी, तो वह इसमें से घटा दी जाएगी। ये संविदाएं एक बार रद्द होने पर फिर से बुक होने की पात्र नहीं होंगी। इस संबध में रोल ओवर की भी अनुमति नहीं है।

जी) प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपने ग्राहकों/मुवक्किलों द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी करने से संतुष्ट होने पर उन्हें विगत कार्यनिष्पादन के आधार पर प्राप्त की जाने वाली सुविधा की अनुमति दे सकते हैं:

i. ग्राहक से इस आशय का एक वचनपत्र प्राप्त किया जाए कि बुक की गई सभी संविदाओं की परिपक्वता से पूर्व वह एतद्विषयक पुष्टिकारक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर देगा।
ii. आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ता प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ इस सुविधा के अंतर्गत बुक की गई राशि के संबंध में अपने सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित संलग्नक VI के अनुसार प्रति तिमाही एक घोषणा पत्र प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को प्रस्तुत करेंगे।
iii. निर्यातकर्ता ग्राहक/मुवक्किल को इस सुविधा के अंतर्गत पात्र होने के लिए उसके सकल ओवरड्यू बिल उसके पण्यावर्त (टर्नओवर) के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।
iv. अपने ग्राहकों के निम्नलिखित दस्तावेजों की जांच करने के बाद उनकी वास्तविक अपेक्षाओं/जरूरतों से संतुष्ट होने पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक ग्राहक की पात्रता सीमा के 50% के अलावा सकल बकाया संविदाओं के लिए अनुमति दे सकते हैं।

- ग्राहक के सांविधिक लेखापरीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र कि इस सुविधा का उपयोग करते समय सभी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है।
- ग्राहक के विगत तीन वर्षों के आयात/निर्यात पण्यावर्त(टर्नओवर) को विधिवत प्रमाणित करने वाले ग्राहक के सांविधिक लेखापरीक्षक का संलग्नक VII में दिया गया प्रमाणपत्र ।

एच) विगत निष्पादन सीमा का एक बार उपयोग करने के पश्चात संविदा के रद्द किए जाने या की परिपक्वता पर उसे पुन: प्रतिस्थापित/नवीकृत नहीं किया जाएगा।

आई) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ग्राहक के विगत निष्पादन का आकलन/गणना करें। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विगत वर्ष के लेखापरीक्षित आंकड़ों को निकालने में कुछ समय लग सकता है। तथापि यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से तीन माह में विवरण प्राप्त

नहीं होते हैं तो यह सुविधा तब तक न दी जाए जब तक कि लेखापरीक्षित आंकड़े न प्राप्त हो जाएं।

जे) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों से अपेक्षित है कि वे विगत निष्पादन पर आधारित सीमा संबंधी सौदा (डील) होने से पूर्व उसके वैधीकरण/जारी रखने की उचित प्रणाली स्थापित करें। ग्राहक के घोषणापत्र के अलावा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को अपने ग्राहकों के साथ हुए विगत लेनदेनों एवं उनके पण्यावर्त का मूल्यांकन करना चाहिए।

के) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों से अपेक्षित है कि वे इस सुविधा के तहत अपने ग्राहकों (मुवक्किलों) को मंजूर की गई सीमाओं की मासिक रिपोर्ट (प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार को) संलग्नक X के विनिर्दिष्ट प्रोफार्मे में प्रस्तुत करें।

3) विशेष छूट

i) लघु और मध्यम उद्यम

सहभागी

मार्केट-मेकर्स-प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

उपयोगकर्ता (यूजर)-लधु और मध्यम उद्यम [2]

प्रयोजन

लघु और मध्यम उद्यमियों के विदेशी मुद्रा जोखिमों के प्रत्यक्ष और /या अप्रत्यक्ष एक्स्पोजरों को हेज करना

उत्पाद

वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं

परिचालनात्मक दिशानिर्देश- विदेशी मुद्रा जोखिमों के प्रत्यक्ष और /या अप्रत्यक्ष एक्स्पोजरों वाले लघु और मध्यम उद्यमियों को अंतर्निहित दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना वायदा संविदाएं बुक करने/रद्द करने/ रोलओवर करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत दी जाती है:

ए) ऐसी संविदाएं लघु और मध्यम उद्यमियों द्वारा उन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के साथ बुक करनी चाहिए जिनसे उन्हें ऋण सुविधा मिली हो और कुल बुक की गई वायदा संविदाएं विदेशी मुद्रा अपेक्षाओं या कार्यशीलपूंजी अपेक्षाओं या पूंजी व्यय के लिए ली गई ऋण सुविधा के अनुरूप होनी चाहिए।

बी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को चाहिए कि वे लघु और मध्यम उद्यमी ग्राहकों की वायदा संविदाओं के बारे में *"उपयोगकर्ता के उचित होने"* तथा *"उपयुक्तता"* से संबंधित समुचित सावधानी की प्रक्रिया पूरी करें जैसाकि 2 नवंबर 2011 के परिपत्र सं.बैंपविवि.बीपी.बीसी.44/21.04.157/2011-12 द्वारा जारी "डेरेवेटिव्स के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश" के पैरा 8.3 में सूचित किया गया है।

सी) इस सुविधा का लाभ उठाने वाले लघु और मध्यम उद्यमियों को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों से, यदि कोई वायदा संविदा पहले से बुक की गई हो, के बारे में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

ii) निवासी व्यक्ति, फर्म और कंपनियां

सहभागी

मार्केट-मेकर्स-प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

iii) उपयोगकर्ता (यूजर)-निवासी व्यक्ति, फर्म और कंपनियां

प्रयोजन

निवासी व्यक्ति वास्तविक या प्रत्याशित प्रेषणों, आवक तथा जावक दोनों, से उत्पन्न अपने विदेशी मुद्रा एक्स्पोजरों को हेज करने के लिए स्वयं के घोषणापत्र के आधार पर बिना अंतर्निहित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए 250,000 अमरीकी डालर की सीमा तक वायदा संविदाएं बुक कर सकते हैं।

उत्पाद

वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं

<u>परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें</u>

ए) इस सुविधा के अंतर्गत बुक की गई संविदाएं सामान्यत: सुपुर्दगी के आधार पर होंगी। तथापि, नकदी प्रवाह में किसी अंतर (मिसमैच) या अन्य आकस्मिकता, के कारण इस सुविधा के तहत बुक की गई संविदा को रद्द करने या फिर से बुक करने की अनुमति दी जा सकती है। बकाया संविदाओं का कल्पित (नोशनल) मूल्य किसी भी समय 250,000 अमरीकी डालर की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

बी) केवल एक वर्ष तक की अवधि वाली संविदाएं बुक करने की अनुमति दी जाए।

सी) संलग्नक XIV में दिए गए फार्मट में निवासी व्यक्ति के आवेदनपत्र सह घोषणापत्र के प्रस्तुत करने पर ऐसी संविदाएं उस प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के मार्फत बुक की जाएं जिसके साथ निवासी व्यक्ति के बैंकिंग संबंध हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस बात से संतुष्ट हो लें कि निवासी व्यक्ति वायदा संविदाएं बुक करने में अंतर्निहत जोखिम के स्वरूप से परिचित हैं और ऐसे ग्राहक की वायदा संविदाओं के संबंध में *"उपयोगकर्ता के उचित होने"* तथा *"उपयुक्तता"* से संबंधित समुचित सावधानी की प्रक्रिया पूरी करें।

बी. भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई ओवर दि काउंटर विदेशी मुद्रा डेरेवेटिव संविदाओं के संबंध में सामान्य अनुदेश

जबकि उल्लिखित दिशानिर्देश विशिष्ट विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव पर लागू हैं, वहीं कतिपय सामान्य सिद्धांत तथा सुरक्षा उपाय सभी ओवर दि काउंटर विदेशी मुद्रा डिरिवेटिव पर विवेकपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए विचारार्थ आगे दिए जा रहे हैं। विशेष विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव उत्पादों के अंतर्गत दिए गए दिशानिर्देशों के अलावा उपयोगकर्ताओं (यूजरों) (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक से भिन्न भारत में निवासी व्यक्तियों) और मार्केट मेकरों (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक) द्वारा सामान्य अनुदेशों का अत्यंत सावधनी पूर्वक पालन किया जाना चाहिए।

ए) सभी प्रकार के विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेनेदेनों (आईएनआर-विदेशी मुद्रा स्वाप अर्थात खंड "बी" के पैरा I 1(iv) में यथा वर्णित आईएनआर देयता से विदेशी मुद्रा देयता में संचरण को छोड़कर) के मामले में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक अपने ग्राहक से इस आशय का एक घोषणापत्र अवश्य लें कि एक्स्पोजर बिना हेज किये हुए हैं और उन्हें किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ हेज नहीं किया गया है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को कारपोरेट इस आशय का एक वार्षिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि डेरिवेटिव लेनदेन अधिकृत हैं और बोर्ड (या पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फर्मों के मामले में समकक्ष फोरम) इस कार्रवाई से अवगत हैं।

बी) **संविदागत एक्स्पोजर के मामले में,** प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक निम्नलिखित दस्तावेज अवश्य प्राप्त करें:

i) ग्राहक से इस आशय का वचनपत्र कि अंतर्निहित एक्स्पोजर किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

के मार्फत कवर नहीं किए गए हैं। जहाँ उसी एक्स्पोजर की हेजिंग पार्ट्स में एक से अधिक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के मार्फत की गई हो, वहाँ अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के साथ पहले से बुक की गई राशि का स्पष्ट उल्लेख घोषणापत्र में होना चाहिए। इस वचन-पत्र को सौदे की पुष्टि के भाग के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है।

ii) सांविधिक लेखापारीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र कि वर्ष के दौरान किसी भी समय सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के पास बकाया संविदाएं अंतर्निहित एक्स्पोजर के मूल्य से अधिक नहीं थीं। इसे दोहराया जाता है कि प्राधिकृत व्यापारी बैंक किसी ग्राहक के साथ डेरिवेटिव संविदा करार करते समय ग्राहक से इस आशय का प्रमाणपत्र लें कि संविदागत एक्स्पोज़र जिसके लिए संविदा बुक की जा रही है उसका उपयोग किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी बैंक के साथ किसी डेरिवेटिव लेनदेन के लिए नहीं किया गया है।

सी) व्युत्पन्न (डेराइव्ड) विदेशी मुद्रा एक्स्पोजरों को हेज करने की अनुमति नहीं है। तथापि, आईएनआर-विदेशी मुद्रा स्वाप के मामले में प्रारंभ में यूजर मुद्रा जोखिम (करेंसी रिस्क) को सीमित करने के लिए एकमुश्त प्लेन वनीला क्रास करेंसी आप्शंन(जिसमें रुपया शामिल नहीं है) का सौदा कर सकते हैं।

डी) किसी भी डेरिवेटिव संविदा के मामले में कल्पित (नोशनल) राशि किसी भी समय वास्तवकि अंतर्निहित एक्स्पोजर से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार डिरिवेटिव संविदा की अवधि अंतर्निहित एक्स्पोजर की अवधि से अधिक नहीं होगी। संपूर्ण लेनदेनों की कल्पित राशि उसकी पूरी अवधि के लिए गिनी जाएगी और हेज किए जाने वाले अंतर्निहित एक्स्पोजर की राशि डेरिवेटिव संविदा की कल्पित राशि के समरूप अवश्य होनी चाहिए।

ई) किसी विशिष्ट अवधि के लिए एक्स्पोजर विशेष/उसके भाग के लिए केवल एक हेज लेनदेन बुक किया जा सकता है।

एफ) डेरिवेटिव लेनदेन (वायदा संविदाओं के अलावा) के अवधि पत्रक (टर्म शीट) में निम्नलिखित का स्पष्टत: उल्लेख होना चाहिए:

i) लेनदेन के प्रयोजन का ब्योरा दिया जाए जिसमें यह उल्लेख हो कि उत्पाद एवं उसके घटक (कंपोनेंट) ग्राहक (मुवक्किल) को हेजिंग में किस प्रकार मदद करते हैं;

ii) लेनदेन(ट्रांजैक्शन) को निष्पादित करते समय प्रचलित स्पाट दर; तथा

iii) विभिन्न स्थितियों में अधिकतम कितनी हानि हो सकती है/घाटा कहाँ तक जा सकता है।

जी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक केवल उन्हीं उत्पादों का प्रस्ताव करें जिनकी कीमत वे स्वतंत्र रूप से निर्धारित कर सकते हों। यह बैक-टू- बैक आधार पर किए जाने वाले उत्पाद प्रस्तावों पर भी लागू है। सभी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव उत्पादों की कीमत/मूल्य हर समय स्थानीय स्तर पर दिखाने योग्य हों।

एच) मार्केट मेकरों को डेरिवेटिव उत्पादों (वायदा संविदाओं से भिन्न) के प्रस्ताव यूजरों को करने से पूर्व 2 नवंबर 2011 के परिपत्र सं. बैंपरिविवि. सं. बीपी.बीसी. 44/21.04.157/ 2011-12 में दिए गए ब्योरे के अनुसार इन उत्पादों के "उपयोगकर्ता के लिए उचित होने" तथा "उपयोगकर्ता के लिए उनकी उपयुक्तता" से संबंधित समुचित सावधानी की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

आई) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक यूजरों के साथ उत्पाद के संबंध में संभावित ऊर्ध्वगामी तथा अधोगामी पक्षों को शामिल करते हुए विभिन्न हालातों तथा उत्पाद पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न बाजार पैरामीटरों की पहचान संबंधी जानकारी से यूजरों को अवगत कराएं।

जे) 20 अप्रैल 2007 के परिपत्र सं. बैंपरिविवि. सं. बीपी.बीसी. 86/21.04.157/2006-07 में डेरिवेटिव के संबंध में जारी व्यापक दिशानिर्देशों में दिए गए सभी दिशानिर्देश और समय समय पर उसमें किए गए संशोधन विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव पर भी लागू होंगे।

के) बैंकों के बीच डेरिवेटिव के संबंध में सूचना की भागीदारी/आपसी जानकारी बांटना अनिवार्य है जैसाकि 19 सितंबर 2008 के परिपत्र सं. बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी.46/08.12. 001/2008-09 तथा 8 दिसंबर 2008 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.94/08.12.001/ 2008-09 में ब्योरा दिया गया है

4. मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंजों/नये स्टाक एक्स्चेंजों पर करेंसी फ्यूचर्स का लेन-देन

भारत में डेरिवेटिव मार्केट को और विकसित करने तथा निवासियों को विदेशी मुद्रा की हेजिंग के मौजूदा उपलब्ध साधनों(टूल्स) (के मेनू) में इजाफा करने के लिए देश में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंजों या नए एक्स्चेंजों में करेंसी फ्यूचर संविदाओं की ट्रेडिंग करने की अनुमति दी गई है। करेंसी फ्यूचर मार्केट भारतीय रिज़र्व बैंक तथा सेबी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, दिशानिर्देशों, अनुदेशों के अनुसार कार्य करेगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी करेंसी फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 [6 अगस्त 2008 की अधिसूचना सं.एफईडी.1/डीजी (एसजी)-2008](निदेश) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा-45 डब्ल्यू के तहत जारी 19 जनवरी 2010 की अधिसूचना सं. एफईडी.2/ ईडी (एचआरके)-2009 में अंतर्विष्ट निदेशों के तहत भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को भारत में करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में भाग लेने की अनुमति दी गई है। करेंसी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा सकती है:

<u>अनुमति/मंजूरी</u>

(i) अमरीकी डालर- भारतीय रुपये, यूरो- भारतीय रुपये, जापानी येन-भारतीय रुपये तथा पौंड स्टर्लिंग-भारतीय रुपये में करेंसी फ्यूचर्स की अनुमति है।
(ii) "भारत में निवासी व्यक्ति" निम्नलिखित पैराग्राफ 6 में दी गई शर्तों के तहत करेंसी फ्यूचर्स संविदाएं खरीद या बेच सकते हैं।

<u>करेंसी फ्यूचर्स की विशेषताएं</u>

मानकीकृत करेंसी फ्यूचर्स में निम्नलिखित विशेषताएं होंगी:

ए) अमरीकी डालर- भारतीय रुपये, यूरो- भारतीय रुपये, पौंड स्टर्लिंग-भारतीय रुपये तथा जापानी येन-भारतीय रुपये की की गई संविदाओं की ट्रेडिंग करने की अनुमति है।

बी) अमरीकी डालर- भारतीय रुपये की प्रत्येक संविदा की सीमा 1000 अमरीकी डालर, यूरो- भारतीय रुपये की प्रत्येक संविदा की सीमा 1000 यूरो, ग्रेट ब्रिटेन के पौंड स्टर्लिंग-भारतीय रुपये की प्रत्येक संविदा की सीमा 1000 पौंड स्टर्लिंग तथा जापानी येन-भारतीय रुपये की प्रत्येक संविदा की सीमा 100000 जापानी येन होगी।

सी) संविदाओं के भाव (quote) तथा भुगतान/निपटान भारतीय रुपए में होंगे।

डी) संविदाओं की परिपक्वता अवधि 12 माह से अधिक नहीं होगी।

ई) अमरीकी डालर- भारतीय रुपये और यूरो- भारतीय रुपये की संविदाओं के लिए भुगतान/निपटान भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर के अनुसार किए जाएंगे और ग्रेट ब्रिटेन के पौंड स्टर्लिंग-भारतीय रुपये तथा जापानी येन-भारतीय रुपये की संविदाओं के भुगतान/निपटान की दर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ट्रेडिंग दिन के अंत में (Last trading day) प्रेस प्रकाशनी के मार्फत प्रकाशित विनिमय दर होगी।

<u>सदस्यता</u>

(i) मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंज के करेंसी फ्यूचर्स मार्केट की सदस्यता ईक्विटी डेरिवेटिव खंड या नकद खंड से अलग होगी। करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेडिंग तथा क्लियरिंग(समाशोधन) दोनों के लिए सदस्यता सेबी

द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

(ii) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के रूप में अधिकृत बैंकों को न्यूनतम विवेकपूर्ण अपेक्षाओं की पूर्ति के अधीन स्वयं के लिए और अपने ग्राहकों की ओर से मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंज के फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेडिंग करने तथा क्लियररिग करने के लिए सदस्य बनने की अनुमति है।

(iii) उपर्युक्त न्यूनतम विवेकपूर्ण अपेक्षाओं की पूर्ति न करने वाले वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक का दर्जा प्राप्त शहरी सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभाग से अनुमोदन के तहत करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में केवल ग्राहक के रूप में भाग ले सकते हैं।

<u>पोजीशन लिमिट्स</u>

i. करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में भाग लेने वाले विभिन्न वर्गों के लिए पोजीशन लिमिट्स भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी।

ii. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक निवल ओपेन पोजीशन(एनओपी) तथा सकल अंतर (एजी) सीमाओं जैसी विवेकपूर्ण सीमाओं के तहत ये परिचालन करेंगे।

<u>जोखिम प्रबंधन उपाय</u>

करेंसी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग प्रारंभिक, अधिकतम हानि और कलैंडर स्प्रेड मार्जिन को बनाए रखने की शर्त के अधीन होगी तथा क्लियरिंग कारपोरेशन/एक्स्चेंजों के क्लियरिंग-हाउस सेबी द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर सहभागियों द्वारा ऐसे मार्जिन बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे।

<u>निगरानी एवं प्रकटीकरण</u>

करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में किए गए लेनदेनों के संबंध में निगरानी तथा प्रकटीकरण सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार करने होंगे।

<u>करेंसी फ्यूचर्स एक्स्चेंजों/क्लियरिंग कारपोरेशनों को प्राधिकरण</u>

मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंज और उनके संबंधित क्लियरिंग कारपोरेशन/क्लियरिंग-हाउस तब तक करेंसी फ्यूचर्स का कारोबार नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की 10(1) के अंतर्गत इसके लिए अधिकृत नहीं कर दिया जाता है।

5. मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंजों/नये स्टाक एक्स्चेंजों पर करेंसी ऑप्शंस का लेन-देन

निवासियों और अनिवासियों को विदेशी मुद्रा के एक्स्चेंज ट्रेडेड हेजिंग के मौजूदा उपलब्ध मेनू में इजाफा करने के लिए देश में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंजों या नए एक्स्चेंजों में प्लेन वनिला करेंसी ऑप्शंस संविदाओं की ट्रेडिंग करने की अनुमति दी गई है।
करेंसी ऑप्शंस की एक्स्चेंज में ट्रेडिंग निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा सकती है:

<u>अनुमति/मंजूरी</u>

(i) अमरीकी डालर- भारतीय रुपये में एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस की अनुमति है।

(ii) "भारत में निवासी व्यक्ति" निम्नलिखित पैराग्राफ 6 में दी गई शर्तों के तहत करेंसी ऑप्शंस संविदाएं खरीद या बेच सकते हैं।

एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस की विशेषताएं

मानकीकृत एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस में निम्नलिखित विशेषताएं होंगी:

i. अमरीकी डालर- भारतीय रुपया स्पॉट दर करेंसी ऑप्शंस के लिए अंतर्भूत मुद्रा दर होगी ।

ii. ऑप्शंस प्रीमियम स्टाइल्ड युरोपियन कॉल एण्ड पुट आप्शंस होंगे ।

iii. प्रत्येक संविदा की सीमा 1000 अमरीकी डॉलर होगी ।

iv. प्रीमियम के भाव भारतीय रुपए में दर्शाये जाएंगे। बकाया स्थिति अमरीकी डॉलर में दर्शायी जाएगी ।

v. संविदाओं की परिपक्वता अवधि 12 माह से अधिक नहीं होगी।

vi. संविदाओं का भुगतान/निपटान भारतीय रूपये में नकद किया जाएगा ।

vii. संविदा का भुगतान मूल्य संविदा की समाप्ति की तारीख को रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर के अनुसार होगा ।

सदस्यता

(i) करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेडिंग के लिए सेबी के पास रजिस्टर्ड सदस्य किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंज के एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी आप्शंस मार्केट में ट्रेड करने के लिए पात्र होंगे। एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी आप्शंस मार्केट में ट्रेडिंग तथा क्लियरिंग (समाशोधन) दोनों के लिए सदस्यता सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

(ii) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के रूप में अधिकृत बैंकों को निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण अपेक्षाओं की पूर्ति के अधीन स्वयं के लिए और अपने ग्राहकों की ओर से मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंज के एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी आप्शंस मार्केट में ट्रेडिंग करने तथा क्लियरिंग करने के लिए सदस्य बनने की अनुमति है।

ए) न्यूनतम निवल मालियत रु. 500 करोड़ हो;

बी) CRAR का न्यूनतम अनुपात 10% हो;

सी) निवल अनर्जक परिसंपत्तियाँ 3% से अधिक न हों;

डी) विगत तीन वर्षों से लगातार लाभ अर्जित हो रहा हो।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक जो विवेकपूर्ण अपेक्षाओं को पूरा करते हैं वे अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी आप्शंस संविदाओं की ट्रेडिंग और क्लीयरिंग तथा जोखिम प्रबंधन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित करें ।

(iii) उपर्युक्त न्यूनतम विवेकपूर्ण अपेक्षाओं की पूर्ति न करने वाले वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक का दर्जा प्राप्त शहरी सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभाग से अनुमोदन के तहत करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में केवल ग्राहक के रूप में भाग ले सकते हैं।

पोजीशन लिमिट्स

i. करेंसी आप्शंस में भाग लेने वाले विभिन्न वर्गों के लिए पोजीशन लिमिट्स भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी।

ii. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक निवल ओपेन पोजीशन(एनओपी) तथा सकल अंतर (एजी) सीमाओं जैसी विवेकपूर्ण सीमाओं के तहत ये परिचालन करेंगे।

जोखिम प्रबंधन उपाय

एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी आप्शंस में ट्रेडिंग प्रारंभिक, अधिकतम हानि और कलैंडर स्प्रेड मार्जिन को बनाए रखने की शर्त के अधीन होगी तथा क्लियरिंग कारपोरेशन/एक्स्चेंजों के क्लियरिंग-हाउस सेबी द्वारा समय-समय पर जारी

दिशानिर्देशों के आधार पर सहभागियों द्वारा ऐसे मार्जिन बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे।

<u>निगरानी एवं प्रकटीकरण</u>

एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी आप्शंस मार्केट में किए गए लेनदेनों के संबंध में निगरानी तथा प्रकटीकरण सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार करनी होगी।

<u>करेंसी आप्शंस में डील करने के लिए एक्स्चेंजों/क्लियरिंग कारपोरेशनों को प्राधिकरण</u>

मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंज और उनके संबंधित क्लियरिंग कारपोरेशन/क्लियरिंग-हाउस तब तक करेंसी आप्शंस का कारोबार नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की 10(1) के अंतर्गत इसके लिए अधिकृत नहीं कर दिया जाता है।

6. <u>एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव (ईटीसीडी) में भाग लेने वाले निवासियों के लिए शर्तें</u>

ए) घरेलू सहभागियों को अंतर्भूत एक्सपोजर की पुष्टि कराए बिना प्रति एक्स्चेंज 10 मिलियन अमरीकी डॉलर तक की खरीद के साथ-साथ बिक्री करने की अनुमति होगी। सुकरता के लिए अमरीकी डॉलर से भिन्न मुद्रा संविदाओं के लिए एक्स्चेंज निश्चित सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं ताकि वे 10 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य मूल्य की सीमा में बनी रहें।

बी) ईटीसीडी मार्केट में 10 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की पोजीशन लेने के इच्छुक घरेलू सहभागियों को अंतर्भूत एक्स्पोसर की मौजूदगी की पुष्टि करानी होगी। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

i) माल और सेवाओं के निर्यातक अथवा आयातक सहभागियों के लिए ईटीसीडी में उचित हेजिंग पोजीशन लेने के लिए पात्र सीमा, (ए) निर्यातक के मामले में (I) विगत 3 वर्षों के निर्यात पण्यावर्त के औसत अथवा (II) पिछले वर्ष के निर्यात पण्यावर्त में से जो भी अधिक हो, के आधार पर और आयातकों के मामले में (I) विगत 3 वर्षों के आयात पण्यावर्त के औसत अथवा (II) विगत वर्ष के पण्यावर्त में से जो भी उच्चतर हो, के पचास प्रतिशत के आधार पर निर्धारित होगी।

ii) एक्स्चेंज के ट्रेडिंग सदस्य को सहभागी द्वारा अपने सांविधिक लेखा परीक्षक से उल्लिखित सीमा के संबंध में प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और उसके साथ मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक वचनपत्र भी संलग्न करना होगा कि बकाया ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं और बकाया ईटीसीडी संविदाओं दोनों का कुल योग संविदागत वास्तविक निर्यात अथवा आयात, जैसा भी मामला हो, के सदैव अनुरूप रहेगा।

iii) उपर्युक्त प्रमाणपत्र के आधार पर ट्रेडिंग सदस्य संबंधित ग्राहक की ओर से पात्र सीमा (उल्लिखित पैराग्राफ (i) में विनिर्दिष्ट) के पचास प्रतिशत तक ईटीसीडी संविदाएं बुक कर सकता है। यदि कोई सहभागी ईटीसीडी में पात्र सीमा के पचास प्रतिशत से अधिक की पोजीशन लेना चाहे, तो उसे अपने सांविधिक लेखापरीक्षक से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि बकाया ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं और बकाया ईटीसीडी संविदाओं का कुल योग आम तौर पर पात्र सीमा के अनुरूप रहा है। ऐसे प्रमाण पत्र के आधार पर ट्रेडिंग सदस्य उक्त सीमा के पचास प्रतिशत से अधिक और उपर्युक्त पैराग्राफ (i) में उल्लिखित सीमा तक ईटीसीडी संविदाएं बुक कर सकता है।

iv) सभी अन्य सहभागियों के लिए जिनके चालू और पूंजी खाते गत लेन-देन के साथ- साथ निर्यातक और आयातक के तौर पर अंतर्भूत विदेशी मुद्रा एक्स्पोज़र हों और जो संविदागत एक्स्पोज़र के आधार पर

ईटीसीडी बाजार में पहुँचने के इच्छुक हों, उन्हें ट्रेडिंग सदस्य के तौर पर कार्य करने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के मार्फत ऐसे लेन-देन करने होंगे। ऐसे मामलों में अंतर्भूत एक्स्पोज़र के सत्यापन की ज़िम्मेदारी और यह सुनिश्चित करना कि खरीदी/बेची गई ईटीसीडी संविदाएं अंतर्भूत एक्स्पोज़र के अनुरूप हैं और उसी अंतर्भूत एक्स्पोज़र के लिए ओटीसी संविदाएं बुक नहीं की गई हैं, इसका दायित्व संबंधित (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक) ट्रेडिंग सदस्य का होगा।

v) उपर्युक्त पैराग्राफ (iv) में वर्णित सहभागियों को छोड़कर, ईटीसीडी मार्केट के सभी सहभागियों से अपेक्षित होगा कि वे संबंधित ट्रेडिंग सदस्यों को 31 मार्च और 30 सितम्बर को समाप्त अर्धवर्ष के लिए संबंधित तारीख से 15 दिनों के भीतर अपने सांविधिक लेखापरीक्षक से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें जिसमें यह उल्लेख हो कि सहभागी द्वारा ओटीसी और ईटीसीडी मार्केट में विगत छह माह में बुक की गई डेरिवेटिव संविदाओं का कुल योग वास्तविक एक्स्पोज़र से अधिक नहीं था।

सी॰ यह नोट किया जाए कि इस परिपत्र के उपबंधों के अनुपालन का दायित्व संबंधित सहभागी का होगा और किसी भी उल्लंघन के मामले में, सहभागी विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत निर्मित विनियमों, निदेशों, आदि के उपबंधों के तहत कार्रवाई का भागी होगा।

7. पण्य (Commodity) हेजिंग

निर्यात और आयात के कारोबार में लगे अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अन्यथा अनुमोदित भारत में निवासी व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय पण्य मंडियों /बाज़ारों में अनुमत वस्तुओं के मूल्य संबंधी जोखिम का बचाव (हेज) करने की अनुमति है । इस सुविधा का उपयोग किसी अन्य डेरिवेटिव उत्पाद के साथ नहीं किया जाना चाहिए। यह ध्यान रहे कि, यहाँ प्राथमिक रूप से प्राधिकृत व्यापारी बैंकों की भूमिका समय-समय पर मार्जिन अपेक्षा के लिए अंतर्निहित एक्सपोज़रों के सत्यापन के तहत विदेशी मुद्रा राशियों का प्रेषण है। ग्राहक द्वारा ओवरसीज काउंटर पार्टियों के साथ किए गये पण्य व्युत्पन्न लेनदेन से उपजे भुगतान दायित्वों के लिए किए गये प्रेषणों के बदले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, संलग्नक XV में दी गई शर्तों/ दिशा-निर्देशों के तहत पण्य डेरिवेटिव से संबंधित इन विशिष्ट भुगतान दायित्वों को कवर देने के लिए समर्थनकारी साख-पत्र / की बैंक गारंटी जारी कर सकते हैं । यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड, शब्द जहाँ आता है, उसका अर्थ निदेशकों का बोर्ड अथवा साझेदारी अथवा प्रोप्राइटरी फर्म के मामले में समकक्ष फोरम है। यह सुविधा निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित की जाती है:

I) प्रत्यायोजित मार्ग

ए.पण्यों के वास्तविक आयात/निर्यात पर मूल्य संबंधी जोखिम की हेजिंग

सहभागी

उपयोगकर्ता (Users): भारत में पण्यों के आयात और निर्यात के कारोबार में लगी कंपनियाँ

फेसिलिटेटर: प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

प्रयोजन: आयातित/निर्यातित पण्य के मूल्यसंबंधी जोखिम की हेजिंग करना

उत्पाद: अंतर्राष्ट्रीय पण्य मंडियों में स्टैंडर्ड एक्स्चेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शन्स (केवल खरीद) के लिए। यदि जोखिम प्रोफाइल के लिए आवश्यक हो तो ओवरसीज ओवर दि काउंटर संविदाओं का उपयोग किया जा सकता है ।

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश

कतिपय न्यूनतम मानदण्डों का पालन करनेवाले और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक अंतर्राष्ट्रीय पण्य मंडियों/ बाज़ारों में किसी पण्य (सोना, चांदी, प्लैटिनम को छोड़कर) के संबंध में कीमत संबंधी जोखिम की हेजिंग की अनुमति मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्स्चेंजों में सूचीबद्ध कंपनियों को दे सकते हैं। दिशा-निर्देश संलग्नक XI (ए तथा बी) में दिये गये हैं।

बी. कच्चे तेल के प्रत्याशित आयात की हेजिंग

सहभागी

उपयोगकर्ता (Users): कच्चे तेल के परिष्करण संबंधी कार्य करनेवाली घरेलू कंपनियाँ

फेसिलिटेटर: प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

प्रयोजन: पूर्व कार्यनिष्पादन के आधार पर कच्चे तेल के आयात के मूल्य संबंधी जोखिम की हेजिंग ।

उत्पाद: अंतर्राष्ट्रीय पण्य मंडियों में स्टैंडर्ड एक्स्चेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शन्स (केवल खरीद)।यदि जोखिम प्रोफाइल के लिए आवश्यक हो तो ओवरसीज़ ओवर दि काउंटर संविदाओं का उपयोग किया जा सकता है ।

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश

ए) कच्चे तेल के प्रत्याशित आयातों पर पिछले वर्ष के दौरान कार्य-निष्पादन के आधार पर कच्चे तेल के वास्तविक आयातों की मात्रा के 50 प्रतिशत तक अथवा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयातों की औसत मात्रा के 50 प्रतिशत तक, इनमें से जो भी अधिक हो, की हेजिंग के लिए अनुमति दी जा सकती है ।

बी) इस सुविधा के तहत बुक की गयी संविदाओं को हेज़ अवधि के दौरान अंतर्निहित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण द्वारा नियमित करना होगा । कंपनी से इस आशय का वचनपत्र ले लिया जाए ।

सी) संलग्नक XI के अनुसार सभी अन्य शर्तों तथा दिशा-निर्देशों का पालन होना चाहिए ।

सी. घरेलू खरीद और बिक्री पर मूल्य संबंधी जोखिम की हेजिंग

(i) चयनित धातुएं

सहभागी

उपयोगकर्ता (Users): एल्युमिनियम, तांबा, शीशा, निकिल और जिंक की घरेलू उत्पादक कंपनियां / यूजर जो मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबध्द हैं

फेसिलिटेटर: प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

प्रयोजन: एल्युमिनियम, तांबा, शीशा, निकिल और जिंक के मूल्य संबंधी जोखिम के अंतर्निहित आर्थिक एक्सपोज़रों को हेज़ करना ।

उत्पाद: अंतर्राष्ट्रीय पण्य मंडियों में स्टैंडर्ड एक्स्चेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शन्स (केवल खरीद)

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश

ए) उपर्युक्त पण्यों की पिछले तीन वर्षों (अप्रैल से मार्च) की वास्तविक खरीद/बिक्री के औसत अथवा पिछले वर्ष की वास्तविक खरीद/बिक्री टर्नओवर, में से जो भी उच्चतर हो, की हेजिंग के लिए अनुमति दी जा सकती है ।

बी) यूजर को उसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को प्रमाणित करने वाला बोर्ड का संकल्प प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक को प्रस्तुत करना होगा जिसमें समग्र रूपरेखा परिभाषित हो, जिसके तहत डेरिवेटिव गतिविधियाँ की जाएंगी तथा जोखिम नियंत्रित किए जाएंगे ।

सी) संलग्नक XI (ए तथा बी) के अनुसार सभी अन्य शर्तों तथा दिशा-निर्देशों का पालन होना चाहिए ।

(ii) विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीफ)

सहभागी

उपयोगकर्ता (Users): विमानन टर्बाइन ईंधन के वास्तविक घरेलू यूजर

फेसिलिटेटर: प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

प्रयोजन: घरेलू खरीद पर आधारित विमानन टर्बाइन ईंधन के संबंध में आर्थिक जोखिमों की हेजिंग

उत्पाद: अंतर्राष्ट्रीय पण्य मंडियों में स्टैंडर्ड एक्स्चेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शन्स (केवल खरीद)। यदि जोखिम प्रोफाइल के लिए आवश्यक हो तो ओवरसीज़ ओवर दि काउंटर संविदाओं का उपयोग किया जा सकता है ।

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश:

ए) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि विमानन टर्बाइन ईंधन की हेजिंग के लिए अनुमति केवल पक्के (firm) आदेशों पर दी जाए।

बी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक आवश्यक दस्तावेजी सबूत रखें ।

सी) यूजर को उसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को प्रमाणित करने वाला बोर्ड का संकल्प प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक को प्रस्तुत करना होगा जिसमें समग्र रूपरेखा परिभाषित हो, जिसके तहत डेरिवेटिव गतिविधियाँ की जाएंगी तथा जोखिम नियंत्रित किए जाएंगे ।

डी) परिशिष्ट XI (ए तथा बी) के अनुसार सभी अन्य शर्तों तथा दिशा-निर्देशों का पालन होना चाहिए ।

(iii) कच्चे तेल की घरेलू खरीद तथा पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री

सहभागी

उपयोगकर्ता (Users): कच्चे तेल की घरेलू परिष्करण कंपनियाँ

फेसिलिटेटर: प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

प्रयोजन: कच्चे तेल की घरेलू खरीद तथा पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री, जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतो से संबद्ध होती हैं, संबंधी पण्य कीमतों के बाबत जोखिम की हेजिंग।

उत्पाद: अंतर्राष्ट्रीय पण्य मंडियों में स्टैंडर्ड एक्स्चेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शन्स (केवल खरीद)। यदि जोखिम प्रोफाइल के लिए आवश्यक हो तो ओवरसीज़ ओवर दि काउंटर संविदाओं का उपयोग किया जा सकता है ।

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश:

ए) अंतर्निहित संविदाओं के आधार पर ही हेजिंग की अनुमति दी जाएगी ।

बी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक आवश्यक दस्तावेजी सबूत रखें ।

सी) संलग्नक XI (ए तथा बी) के अनुसार सभी अन्य शर्तों तथा दिशा-निर्देशों का पालन होना चाहिए।

डी. माल सूची पर मूल्य जोखिम की हेजिंग

सहभागी

उपयोगकर्ता (Users): तेल विपणन तथा घरेलू परिष्करण कंपनियाँ

फेसिलिटेटर: प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

प्रयोजन: माल सूची पर मूल्य जोखिम की हेजिंग करना

उत्पाद: अधिकतम एक वर्ष की वायदा अवधि तक सीमित अवधि के लिए विदेशी ओवर दि काउंटर(ओटीसी)/ एक्स्चेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव।

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश:

ए) पिछली तिमाही की पूर्ववर्ती तिमाही में रही मात्रा पर आधारित माल सूची के 50 प्रति शत तक हेजिंग की अनुमति दी जा सकती है ।

बी) संलग्नक XI (ए तथा बी) के अनुसार सभी अन्य शर्तों तथा दिशा-निर्देशों का पालन होना चाहिए।

II) अनुमत मार्ग

सहभागी

उपयोगकर्ता (Users): भारत में निवास करनेवाले, जो पण्यों के प्रणालीगत अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जोखिम संबंधी एक्सपोज़रों से रूबरू हैं।

फेसिलिटेटर: प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक

प्रयोजन: पण्यों में प्रणालीगत अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जोखिम की हेजिंग करना ।

उत्पाद: अंतर्राष्ट्रीय पण्य मंडियों में स्टैंडर्ड एक्स्चेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शन्स (केवल खरीद)। यदि जोखिम प्रोफाइल के लिए आवश्यक हो तो समुद्रपारीय ओवर दि काउंटर संविदाओं का उपयोग किया जा सकता है ।

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश:

कंपनियों/फर्मों के आवेदनपत्र, जो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंकों के प्रत्यायोजित प्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं, संबंधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग के जरिये रिज़र्व बैंक को विशिष्ट सिफारिशीपत्र के साथ विचारार्थ प्रस्तुत किये जाएं। आवेदनपत्र में दिए जाने वाले ब्योरे संलग्नक XII में दिये गये हैं ।

।।।) विशेष आर्थिक क्षेत्र की कंपनियाँ (एसईज़ेड)

सहभागी

उपयोगकर्ता (Users): विशेष आर्थिक क्षेत्र की कंपनियाँ (एसईज़ेड)

फेसिलिटेटर: प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक

प्रयोजन: आयातित/निर्यातित पण्य के मूल्य जोखिम की हेजिंग करना

उत्पाद: अंतर्राष्ट्रीय पण्य मंडियों में स्टैंडर्ड एक्स्चेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शन्स (केवल खरीद)। यदि जोखिम प्रोफाइल के लिए आवश्यक हो तो ओवरसीज़ ओवर दि काउंटर संविदाओं का उपयोग किया जा सकता है ।

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश:

प्राधिकृत व्यापारी बैंक विशेष आर्थिक क्षेत्र की कंपनियों को निर्यात / आयात पर उनके पण्य संबंधी मूल्यों की हेजिंग के लिए विदेशी पण्य मंडियों / बाज़ार में हेजिंग लेनदेन की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते ऐसी संविदा एकल आधार पर की जाए('एकल आधार' शब्द विशेष आर्थिक क्षेत्र की उन इकाइयों से अभिप्रेत है जिनका मुख्य भूभाग स्थित अपनी मूल अथवा सहयोगी कंपनी अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिट से, जहां तक कि उसके आयात/निर्यात लेनदेनों का संबंध है, किसी प्रकार का वित्तीय संबंध नहीं है।)

टिप्पणी : प्रत्यायोजित मार्ग और अनुमत मार्ग के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश क्रमश: संलग्नक XI और संलग्नक XII में दिये गये हैं ।

8. माल भाड़ा-जोखिम हेतु हेजिंग

माल भाड़ा जोखिम वाली तेल परिष्करण और जहाजरानी संबंधी घरेलू कंपनियों को रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किये गये प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंकों के जरिये अपने जोखिम का बचाव(हेजिंग) करने की अनुमति है। माल भाड़ा जोखिम वाली अन्य कंपनियाँ अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंकों के जरिये रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर सकती हैं । यह ध्यान रहे कि यहाँ प्राथमिक रूप से प्राधिकृत व्यापारी बैंकों की भूमिका समय- समय पर मार्जिन अपेक्षाओं के लिए अंतर्निहित जोखिम के सत्यापन की शर्त पर विदेशी मुद्रा राशियों का विप्रेषण करना है। इस सुविधा का उपयोग किसी अन्य डेरिवेटिव उत्पाद के साथ नहीं किया जाना चाहिए । सुविधा निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित है:

।) प्रत्यायोजित मार्ग

सहभागी:

उपयोगकर्ता (Users): तेल परिष्करण और जहाजरानी संबंधी घरेलू कंपनियां

फेसिलिटेटर: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किये गये प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक, अर्थात् जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंडी/बाजार में पण्य के मूल्य संबंधी जोखिम का बचाव करने के लिए सूचीबद्ध कंपनियों को, उसमें दर्शायी गयी शर्तों पर, अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं ।

प्रयोजन: माल भाड़ा जोखिम की हेजिंग करना

उत्पाद: अंतर्राष्ट्रीय मंडी/बाजार में प्लेन वैनीला ओटीसी अथवा एक्स्चेंज ट्रेडेड उत्पाद

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश

i) अनुमत अधिकतम भाव एक वर्ष आगे की अवधि हेतु होगा ।

ii) विनिमय गृह, जहाँ से उत्पादों की खरीद की जाती है, मेजबान देश में विनियमित संस्था होना चाहिए ।

iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक यह सुनिश्चित करें कि अपने माल भाड़ा ऋण जोखिम का बचाव करने वाली संस्थाओं में बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंध नीति हो जो डेरिवेटिव लेनदेन और जोखिम उठाये जाने के संबंध में उसकी रूपरेखा को पूर्णत: परिभाषित/निरूपित करती हो।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक यह सुनिश्चित करने के बाद ही इस सुविधा का अनुमोदन करें कि विशिष्ट

गतिविधि और समुद्रपारीय विनिमय गृहों /बाजारों में व्यवसाय करने के लिए भी कंपनी द्वारा अपने बोर्ड की अनुमति प्राप्त की गयी है। बोर्ड का अनुमोदन जिसमें लेनदेन करने के लिए सुव्यक्त प्राधिकारी /प्राधिकारियों, प्रतिभूतियों की दैनिक बाजार दर मूल्य नीति, ओवर दि काउंटर डेरिवेटिव (ओटीसी) के लिए अनुमत काउंटर पार्टियों आदि को अनिवार्यत: शामिल किया जाए तथा किए गए लेनदेनों की एक सूची छमाही आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत की जाए।

iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक लेनदेन की अनुमति देते समय ही कंपनी के बोर्ड के उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि अनिवार्यत: प्राप्त कर लें जिसमें उल्लिखित ब्योरों को निरूपित करते हुए कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति को प्रमाणित किया गया हो और जैसे ही उसमें कोई परिवर्तन किये जाएं, वैसे ही उसकी भी प्रतिलिपि कंपनी से प्राप्त कर ली जाए।

v) यूजर के लिए अंतर्निहित एक्सपोज़र नीचे (ए) और (बी) के अंतर्गत विस्तृत रूप में दिये गये हैं :

(ए)तेल शोधन / परिष्करण संबंधी घरेलू कंपनियों के लिए:

(i) माल भाड़ा जोखिम बचाव, अंतर्निहित संविदाओं अर्थात् कच्चे तेल/पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आयात/ निर्यात आदेशों पर आधारित होगा ।

(ii) इसके अतिरिक्त, तेल परिष्करण संबंधी घरेलू कंपनियाँ कच्चे तेल के प्रत्याशित आयातों पर उनके पिछले वर्ष के दौरान कार्य-निष्पादन के आधार पर कच्चे तेल के वास्तविक आयातों की मात्रा के 50 प्रतिशत तक अथवा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयातों की औसत मात्रा के 50 प्रतिशत तक में से, जो भी अधिक हो, माल भाड़ा जोखिम का बचाव (हेज़) कर सकती हैं ।

(iii) विगत कार्य-निष्पादन सुविधा के तहत निष्पादित संविदाओं को बचाव की अवधि के दौरान अंतर्निहित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण द्वारा नियमित करना होगा । कंपनी से इस आशय का वचनपत्र ले लिया जाना चाहिए ।

(बी) जहाजरानी कंपनियों के लिए:

(i) जोखिम बचाव जहाजरानी कंपनी के स्वामित्व वाले /नियंत्रित जहाजों के आधार पर होगा, जिनके पास कोई वचनबध्द रोज़गार नहीं होगा । हेजिंग की मात्रा इन जहाजों की संख्या और क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाएगी । उसे किसी सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए एवं प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ii) जोखिम बचाव की निष्पादित संविदाएं, अंतर्निहित दस्तावेज अर्थात् जोखिम बचाव की अवधि के दौरान जहाज पर रोजगार से सबंधित दस्तावेज, प्रस्तुत करके नियमित की जायें। कंपनी से इस आशय का वचनपत्र ले लिया जाए ।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जहाजरानी कंपनियों द्वारा निष्पादित किए जा रहे माल भाड़ा डेरिवेटिव जहाजरानी कंपनियों के अंतर्निहित कारोबार का प्रतिरूप हैं ।

।।) अनुमत मार्ग

सहभागी

उपयोगकर्ता (Users): कंपनियाँ (तेल परिष्करण और जहाजरानी संबंधी घरेलू कंपनियों को छोड़कर)जो मालभाड़े के एक्सपोज़र से रूबरु हैं ।

फेसिलिटेटर: प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक

प्रयोजन: माल भाड़ा जोखिम की हेजिंग करना

उत्पाद: अंतर्राष्ट्रीय मंडी/बाजार में प्लेन वैनीला ओटीसी अथवा एक्स्चेंज व्यवसाय(ट्रेडेड) उत्पाद

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश

ए) अनुमत अधिकतम भाव एक वर्ष आगे की अवधि हेतु होगा ।

बी) विनिमय गृह, जहाँ उत्पादों की खरीद की जाती है, मेजबान देश में एक विनियमित संस्था होना चाहिए ।

सी) कंपनियों/फर्मों के आवेदनपत्र, जो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंकों के प्रत्यायोजित प्राधिकार के अंतर्गत

नहीं आते हैं, रिज़र्व बैंक को विशिष्ट सिफारिशी पत्र के साथ संबंधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक के अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग के जरिये विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

खंड ॥

भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

सहभागी

मार्केट-मेकर्स- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक।

उपयोगकर्ता (यूजर)-विदेशी संस्थागत निवेशक (FII), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाले निवेशक (FDI), अनिवासी भारतीय (NRI), अनिवासी निर्यातक तथा आयातक, भारतीय रुपए में नामित बाह्य वाणिज्यिक उधार देने वाले अनिवासी उधारदाता एवं अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक (QFIs)।

प्रत्येक यूजर के लिए प्रयोजन, उत्पाद तथा परिचालनात्मक दिशानिर्देश नीचे दिए जा रहे हैं:

1. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) के लिए सुविधाएं

प्रयोजन

i) भारत में ईक्विटी और/या कर्ज (debt) में हुए संपूर्ण निवेश के किसी तारीख विशेष को बाजार मूल्य के संबंध में मुद्रा जोखिम को हेज करना।

ii) प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के संबंध में अवरुद्ध राशि तंत्र (ASBA) द्वारा समर्थित आवेदनपत्र के तहत अस्थाई पूंजी प्रवाह को हेज करने के लिए।

उत्पाद

वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं जिनमें से एक मुद्रा रुपया है और विदेशी मुद्रा-आईएनआर आप्शंस। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) से संबंधित प्रवाह के बाबत विदेशी मुद्रा-भारतीय रुपया स्वाप।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

ए) विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) भारत में ईक्विटी और/या कर्ज (debt) लिखतों में किए गए अपने संपूर्ण निवेश के किसी तारीख विशेष को बाजार मूल्य के संबंध में मुद्रा जोखिम को हेज करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के तहत किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक से संपर्क कर सकते हैं:

i. नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी बैंक द्वारा दिए गए मूल्यांकन प्रमाणपत्र तथा विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा उसके ग्लोबल बकाया हेजेस तथा सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी बैंकों के मार्फत रद्द की गयी डेरिवेटिव संविदाएं उसके निवेशों के बाज़ार मूल्य के भीतर होने के संबंध में दिए गए घोषणा पत्र के आधार पर कवर की पात्रता का निर्धारण किया जाएगा।

ii. सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी बैंकों के पास बुक की गयी डेरिवेटिव संविदाओं की कुल राशि अपने निवेशों के बाज़ार मूल्य के भीतर होने के संबंध में विदेशी संस्थागत निवेशक कस्टोडियन बैंक को एक तिमाही घोषणापत्र भी देंगे।

iii. नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंकों से भिन्न प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के पास बुक किए गए हेजेस का निपटान आरटीजीएस/एनईएफटी के जरिये पदनामित बैंक के पास रखे गए विशेष अनिवासी रुपया खाते के माध्यम से किया जाएगा।

iv. यदि कोई विदेशी संस्थागत निवेशक अपने पास धारित प्रतिभूतियों (securities held) के उस भाग से संबंधित एक्स्पोज़रों हेतु हेज संविदा करना चाहता है जिसके आधार पर उसने पार्टिसिपेटरी नोट/ओवरसीज़ डेरिवेटिव इन्सट्रूमेंट जारी किए हैं, तो उसके पास पार्टिसिपेटरी नोट/ओवरसीज़ डेरिवेटिव इन्सट्रूमेंट के धारक से मिला अभीष्ट मैंडेट अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक से अपेक्षति है कि वह ऐसे मैंडेट का सत्यापन करे और जिन मामलों में ऐसा करने में कठिनाई हो, वहां वह विदेशी संस्थागत निवेशक से पार्टिसिपेटरी नोट/ओवरसीज़ डेरिवेटिव इन्सट्रूमेंट के स्वरूप/ढांचे जिसमें हेज आपरेशन के लिए

आवश्यकता सिद्ध की गयी हो और उसके ग्राहकों से ऐसे हेज आपरेशन करने के लिए विशिष्ट मैंडेट प्राप्त होने के संबंध में घोषणापत्र प्राप्त कर सकता है।

बी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक बकाया वायदा कवर के लिए अंतर्निहित एक्स्पोजर के होने को सुनिश्चित करने के लिए बाजार कीमत संचलन (मूवमेंट), नई आवक (नए निवेश), प्रत्यावर्तित राशि तथा अन्य संबंधित पैरामीटरों के आधार पर इसकी आवधिक, कम से कम तिमाही अंतराल पर, अवश्य समीक्षा करें। इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई विदेशी संस्थागत निवेशक अपने उप-खाता धारकों में से किसी एक खाता धारक के एक्सपोज़र को हेज करना चाहता है, (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 2 का पैराग्राफ 4 देखें) तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि वह डेरिवेटिव लेनदेन करने के लिए बाद वाले (उप-खाता धारक) के उद्देश्य के संबंध में उप-खाता धारक से स्पष्ट मैंडेट प्रस्तुत करे। इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को मैन्डेट के साथ ही संबंधित उप-खाते में धारित प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य की तुलना में संविदा की पात्रता/योग्यता सत्यापित करनी होगी।

सी) पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य में प्रतिभूतियों की बिक्री से इतर किन्हीं अन्य कारणों से यदि अंशत: या पूरी तरह संकुचन होने से कोई हेज खुल (नेकेड हो) जाए तो इस संबंध में इच्छा व्यक्त करने पर हेज को मूल संविदा की परिपक्वता की तारीख तक जारी रखने की अनुमति दी जाए।

डी) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बुक की गई फारवर्ड संविदाएं, एक बार रद्द हो जाने पर, रद्द की गई संविदाओं के मूल्य के 10 तक फिर से बुक की जा सकती हैं। हालांकि वायदा संविदाओं को परिपक्वता पर या उससे पूर्व रोलओवर किया जा सकता है।

ई) हेज की लागत प्रत्यावर्तनीय निधियों और/ या आवक विप्रेषणों से सामान्य बैंकिंग चैनल के मार्फत पूरी की जा सकती है।

एफ) हेज के संबंध में आकस्मिक सभी जावक विप्रेषण लागू करों को घटाकर होंगे।

जी) प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) से संबंधित अस्थाई पूंजी प्रवाह के लिए:

i. विदेशी संस्थागत निवेशक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के संबंध में अवरुद्ध राशि तंत्र के तहत अस्थाई पूंजी प्रवाह को हेज करने के लिए विदेशी मुद्रा–रूपया स्वाप का सौदा कर सकते हैं ।

ii. स्वाप की राशि प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) में निवेश के लिए प्रस्तावित राशि से अधिक नहीं होगी।

iii. स्वाप की अवधि 30 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

iv. यदि एक बार संविदा रद्द हो जाती है तो उसे फिर से बुक नहीं किया जा सकता है। इस योजना के तहत रोलओवर के लिए भी अनुमति नहीं दी जाएगी ।

एच) विदेशी संस्थागत निवेशक और अन्य विदेशी निवेशक फेमा, 1999 अथवा उसके अंतर्गत निर्मित विनियमावलियों/निर्देशों के अंतर्गत अनुमत किसी भी लेनदेन के लिए अपनी पसंद के किसी भी बैंक के मार्फत निधियों का विप्रेषण करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार विप्रेषित निधियाँ बैंकिंग चैनल से नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I अभिरक्षक बैंक को अंतरित की जा सकती हैं। तथापि, यह नोट किया जाए कि विप्रेषक के संबंध में 'अपने ग्राहक को जानने (केवायसी)' संबंधी अपेक्षा का अनुपालन करने, जहां कहीं आवश्यक हो, की संयुक्त ज़िम्मेदारी विप्रेषण प्राप्त करने वाले बैंक और अंतत: विप्रेषणगत निधियाँ प्राप्त करने वाले बैंक की होगी। जबकि, पहला बैंक विप्रेषक और विप्रेषण प्रयोजन संबंधी ब्योरे लेगा, वहीं दूसरा बैंक प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण से पूरी सूचना तक पहुंचने का हकदार होगा। इसके अलावा, विप्रेषित निधियां विदेशी मुद्रा में आई हैं इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए विप्रेषण प्राप्तकर्ता बैंक से अपेक्षित है कि वह आगम राशि के प्राप्तकर्ता बैंक के लिए विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाणपत्र (FIRC) जारी करे।

2. एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव (ईटीसीडी) में भाग लेने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों हेतु शर्तें

[भाग ए, उप-पैराग्राफ (4) और (5) देखें]

समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूत का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 {3 मई 2000 की अधिसूचना सं॰फेमा.20/2000–आरबी (3 मई 2000 का जीएसआर संख्या 406(ई)} की अनुसूची 2, 5, 7 एवं 8 में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए पात्र विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) निम्नलिखित शर्तों के तहत करेंसी फ्यूचर्स अथवा एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी (ईटीसी) ऑप्शन्स की संविदाओं के सौदे कर सकते हैं:

ए॰ एफपीआई (FPIs) को भारत में उनके भारतीय कर्ज एवं इक्विटी प्रतिभूतियों संबंधी एक्सपोज़र के बाजार मूल्य से उत्पन्न मुद्रा जोखिम को हेज करने के प्रयोजन हेतु करेंसी फ्यूचर्स अथवा एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन्स तक पहुंच की अनुमति दी जाएगी।

बी॰ ऐसे निवेशक संबंधित एक्स्चेंज के पंजीकृत/मान्यताप्राप्त ट्रेडिंग सदस्य के मार्फत करेंसी फ्यूचर्स/एक्स्चेंज ट्रेडेड ऑप्शन्स मार्केट में भाग ले सकते हैं।

सी॰ एफपीआई (FPIs) अंतर्भूत एक्स्पोज़र की पुष्टि कराए बिना, विदेशी मुद्रा में प्रति एक्स्चेंज 10 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि तक के खरीद (long) व बिक्री (short) के सौदे कर सकते हैं। यह सीमा एक दिन (day end) अथवा अंतर्दिवस (intra-day) दोनों के लिए होगी।

डी॰ कोई एफपीआई (FPIs) किसी एक्स्चेंज में किसी भी समय पर 10 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की बिक्री नहीं कर सकता है और 10 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की खरीद हेतु उससे अपेक्षित होगा कि उसके पास अंतर्भूत एक्स्पोज़र हों। अंतर्निहित एक्सपोजर के सुनिश्चय का दायित्व संबन्धित एफपीआई (FPIs) पर होगा।

ई॰ जोखिम प्रबंधन और उचित ट्रेडिंग के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित अतिरिक्त प्रतिबंधों को लगाने के लिए, हालांकि, एक्स्चेंज स्वतंत्र होगा।

एफ॰ एक्स्चेंज/समाशोधन निगम (Clearing Corporation) एफपीआई-वार (FPI-wise) दिन के अंत में ओपन पोजीशन के साथ-साथ अंतर्दिवसीय (Intraday) उच्चतम स्थिति की सूचना संबंधित अभिरक्षक (custodian) बैंक को उपलब्ध कराएगा। अभिरक्षक बैंक प्रत्येक एफपीआई (FPIs) द्वारा एक्सचेंजों में ली गई पोजीशनों के साथ-साथ उनके पास अथवा अन्य प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के पास बुक की गई ओटीसी (OTC) संविदाओं का समेकन करेंगे। यदि संविदाओं का कुल मूल्य किसी दिन होल्डिंग के मार्केट मूल्य से ज्यादा पाया जाएगा, तो संबंधित एफपीआई (FPIs) सेबी द्वारा इस बाबत निर्धारित दण्डात्मक कार्रवाई के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत की जानेवाली कार्रवाई का भागी होगा। नामित अभिरक्षक बैंक से अपेक्षित है कि वह इसकी निगरानी करे और किसी प्रकार के अतिक्रमण/ उल्लंघन को भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी की नोटिस में लाए।

3. अनिवासी भारतीयों (NRIs) के लिए सुविधाएं

प्रयोजन

ए) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा), 1973 या उसके उपबंधों के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अनुसार पोर्टफोलियों योजना के अंतर्गत किए गए निवेश के बाजार मूल्य पर विनिमय दर जोखिम को हेज करने के लिए ।

बी) भारतीय कंपनियों के, लिए गए शेयरों पर प्राप्य लाभांश राशि पर विनिमय दर जोखिम को हेज करने के लिए।

सी) विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमा खातेगत जमाशेष पर विनिमय दर जोखिम को हेज करने के लिए।

डी) अनिवासी बाह्य खातेगत जमाशेष पर विनिमय दर जोखिम को हेज करने के लिए।

उत्पाद

ए) वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं जिनमें से एक मुद्रा रुपया है और विदेशी मुद्रा–आईएनआर आप्शंस।

बी) इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमा खाते में जमाशेष-विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमा खातेगत जमाशेष को जिस एक विदेशी मुद्रा से अन्य विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की अनुमति है उसके लिए क्रास करेंसी (जिसमें रुपया शामिल न हो) वायदा संविदाएं।

4. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हेजिंग के लिए सुविधाएं

प्रयोजन

i) 1 जनवरी 1993 से भारत में किए गए निवेशों के बाजार मूल्य पर भारत में एक्सपोजर के सत्यापन की शर्त पर विनिमय दर जोखिम हेज करना

ii) भारतीय कंपनियों में किए गए निवेशों पर मिलने वाले लाभांश पर मुद्रा जोखिम को हेज करना

iii) भारत में प्रस्तावित निवेश पर मुद्रा जोखिम हेज करना।

उत्पाद

वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं जिनमें से एक मुद्रा रुपया है और विदेशी मुद्रा-आईएनआर आप्शंस।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

ए) भारत में किए गए निवेश के बाजार मूल्य गत विनिमय दर जोखिम को हेज करने के लिए की गयी संविदाओं के संबंध में यदि संविदा एक बार रद्द की जाती है तो वह दुबारा बुक होने के लिए पात्र नहीं होगी। तथापि, संविदाओं को रोल ओवर किया जा सकता है।

बी) प्रस्तावित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :

(i) भारतीय कंपनियों में प्रस्तावित निवेशों से उत्पन्न विनिमय दर जोखिमों को हेज करने के लिए संविदाओं को बुक करने की अनुमति यह सुनिश्चित करने के बाद दी जाएगी कि समुद्रपारीय कंपनियों / एंटिटीज ने निवेश के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और (जहाँ कहीं लागू है) आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं।

(ii) संविदा की अवधि एक बार में छः माह से अधिक नहीं होगी और उसके बाद संविदा को जारी रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति आवश्यक होगी।

(iii) ये संविदाएं यदि रद्द की जाएंगी, तो उन्हीं निवेश प्रवाहों के लिए फिर से बुक करने की पात्र नहीं होंगी।

(iv) संविदाओं के रद्द करने के कारण हुए विनिमय लाभ, यदि कोई हो, समुद्रपारीय निवेशक को नहीं दिए जाएंगे।

5. <u>भारत में भारतीय रुपए में इनवाइस किए गए ट्रेड एक्सपोजरों की हेजिंग के लिए सुविधाएं</u>

<u>प्रयोजन</u>

भारतीय रुपए में इनवाइस किए गए भारत से निर्यात एवं भारत में आयात के मौलिक व्यापारिक लेनदेनों से उत्पन्न मुद्रा जोखिमों को भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के साथ हेज करना।

<u>उत्पाद (प्रॉडक्ट)</u>

वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं (FFEC) जिनमें से एक मुद्रा रुपया है और विदेशी मुद्रा-भारतीय रुपया आप्शंस।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक निम्नलिखित माडॅल I या माडॅल II में से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं।

माडॅल I

समुद्रपारीय बैंक (भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं सहित) के मार्फत लेनदेन का व्यवहार करने वाले अनिवासी निर्यातक/ आयातक

- अनिवासी निर्यातक/आयातक भारतीय रुपए में इनवाइस किए गए पक्के आयात या निर्यात आर्डर से उत्पन्न रुपया जोखिम को हेज करने के लिए उचित दस्तावेजों के साथ अपने समुद्रपारीय बैंकर से संपर्क करता है।
- उसके उपरांत समुद्रपारीय बैंक अपने ग्राहक के रुपया जोखिम को हेज करने के लिए अपने प्रतिनिधि बैंक (अर्थात भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक) से कीमत बताने के लिए अपने ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों (दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियाँ स्वीकार्य) के साथ संपर्क करता है जिससे भारत स्थित प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस बाबत अंतर्निहित ट्रेड लेनदेन की पुष्टि से संतुष्ट हो सके। इस संबंध में ग्राहक से निम्नलिखित वचनपत्र भी लेने आवश्यक हैं:
  - कि उसी अंतर्निहित जोखिम को भारत में किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक/कों द्वारा हेज नहीं किया गया है।
  - यदि अंतर्निहित जोखिम रद्द किया जाएगा, तो ग्राहक हेज संविदा को तत्काल रद्द कर देगा।
- भारत स्थित प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा समुद्रपारीय बैंक से उसके अंतिम ग्राहक के बारे में केवाईसी प्रमाणन एक-बारगी लिया जाएगा।
- भारत स्थित प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपने प्रतिनिधि समुद्रपारीय बैंक से प्राप्त दस्तावजों के आधार पर इस बात से स्वयं संतुष्ट हो ले कि वास्तव में अंतर्निहित ट्रेड संबंधी लेनदेन हुए हैं और समुद्रपारीय बैंक को प्रस्तावित कीमत (आफर प्राइस) के बारे में सूचित करे(दुतरफा प्रस्ताव न किए जाएं) जो उसके बाद उसे अपने ग्राहक को प्रस्तावित करेगा। इस प्रकार प्राधिकृत व्यापारी बैंक समुद्रपारीय आयातक/निर्यातक के साथ सीधे लेनदेन का व्यवहार 'नहीं' करेगा।
- हेज की राशि एवं अवधि अंतर्निहित लेनेदेन-व्यवहार से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह ऐसे आगम (प्रोसीड्स) के भुगतान/की वसूली की अवधि से संबंधित मौजूदा विनियमों के अनुरूप होगी।
- देय तारीख को भुगतान/निपटान प्रतिनिधि बैंक के वोस्ट्रो खाते या प्राधिकृत व्यापारी बैंक के नास्ट्रो खाते से होना चाहिए।
- एक बार संविदा रद्द होने पर दुबारा बुक नहीं की जा सकेगी।
- तथापि, अंतर्निहित जोखिम की परिपक्कता की शर्त के अधीन परिपक्कता की तारीख से पूर्व या को संविदा को आगे बढ़ाया जा सकता है (रोलओवर किया जा सकता है) ।
- संविदा के रद्द होने पर लाभ ग्राहक को पास कर दिए जाने चाहिए बशर्ते वह इस बात का घोषणापत्र प्रस्तुत करे कि वह संविदा को फिर से बुक नहीं कर रहा है या कि अंतर्निहित जोखिम के रद्द होने के कारण संविदा रद्द कर दी गई है।
- यदि अंतर्निहित व्यापारिक लेनदेन के लिए समय का विस्तार होता है, तो रोल ओवर दिया जा सकता है बशर्ते समुद्रपारीय बैंक द्वारा अंतर्निहित व्यापारिक लेनदेन की अवधि में विस्तार होने से संबंधित उचित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं और इस बाबत वही प्रक्रिया अपनायी जाएगी जो मूल संविदा के समय अपनायी गई थी।

माडॅल II

भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक से सीधे लेनदेन का व्यवहार करने वाले अनिवासी निर्यातक/आयातक

- समुद्रपारीय निर्यातक/आयातक भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक को अंतर्निहित ट्रेड लेनदेनों की सौदा पूर्व की स्थिति की पुष्टि से संतुष्ट करने के लिए उचित दस्तावेज प्रस्तुत कर (स्कैन की हुई प्रतियाँ स्वीकार्य) अपने समुद्रपारीय बैंकर के ब्योरे तथा पते, आदि देकर अंतर्निहित जोखिमों हेतु वायदा कवर के लिए संपर्क करता है। इस संबंध में ग्राहक से निम्नलिखित वचनपत्र भी अवश्य लिए जाएं:

- o कि उसी अंतर्निहित जोखिम को भारत में किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक/कों द्वारा हेज नहीं किया गया है।
- o यदि अंतर्निहित जोखिम रद्द किया जाएगा, तो ग्राहक हेज संविदा को तत्काल रद्द कर देगा।

- प्राधिकृत व्यापारी बैंक संलग्नक XVIII में दिए गए फार्मेट में केवाईसी/एएमएल के प्रमाणन को प्राप्त करेगा। समुद्रपारीय प्रतिनिधि/बैंक के मार्फत स्विफ्ट प्रमाणन संदेश के तहत फार्मेट प्राप्त किया जा सकता है। यदि प्राधिकृत व्यापारी बैंक की उपस्थिति देश के बाहर भी हो तो वह अपनी आफशोर शाखा के मार्फत केवाईसी/एएमएल के अनुपालन को सुनिश्चित कर सकता है।
- प्राधिकृत व्यापारी बैंक जोखिमों को कम करने के लिए उचित प्रबंध/व्यवस्था विकसित करें। स्वयं / समुद्रपारीय शाखा द्वारा किए गए क्रेडिट विश्लेषण के आधार पर क्रेडिट सीमा मंजूर की जा सकती है।
- हेज की राशि एवं अवधि अंतर्निहित लेनेदेन-व्यवहार से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह ऐसे आगम (प्रोसीड्स) के भुगतान/की वसूली की अवधि से संबंधित मौजूदा विनियमों के अनुरूप होगी।
- देय तारीख को भुगतान/निपटान प्रतिनिधि बैंक के वोस्ट्रो खाते या प्राधिकृत व्यापारी बैंक के नॉस्ट्रो खाते से होना चाहिए। भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक नॉस्ट्रो/ वोस्ट्रो खाते में निधियों को देखने के उपरांत ही लाभार्थी को निधियों का भुगतान करेगा।
- एक बार संविदा रद्द होने पर दुबारा बुक नहीं की जा सकेगी।
- तथापि, संविदाओं को अंतर्निहित एक्सपोज़र की शर्त के अधीन परिपक्वता पर या उससे पूर्व रोलओवर किया जा सकता है।
- संविदा के रद्द होने पर लाभ ग्राहक को पास कर दिए जाने चाहिए बशर्ते वह इस बात का घोषणापत्र प्रस्तुत करे कि वह संविदा को फिर से बुक नहीं कर रहा है या कि अंतर्निहित जोखिम के रद्द होने के कारण संविदा रद्द कर दी गई है ।
- यदि अंतर्निहित व्यापारिक लेनदेन के लिए समय का विस्तार होता है, तो रोल ओवर दिया जा सकता है बशर्ते समुद्रपारीय बैंक द्वारा अंतर्निहित व्यापारिक लेनदेन की अवधि में विस्तार होने से संबंधित उचित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं और इस बाबत वही प्रक्रिया अपनायी जाएगी जो मूल संविदा के समय अपनायी गई थी।

6. भारत में भारतीय रुपये में नामित (मूल्यवर्गीकृत) बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की हेजिंग के लिए सुविधाएं

प्रयोजन

भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक के पास रखे भारतीय रुपयों में नामित (मूल्यवर्गीकृत) बाह्य वाणिज्यिक उधार से उत्पन्न मुद्रा जोखिम को हेज करना।

उत्पाद

वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं जिनमें से एक मुद्रा रुपया है, विदेशी मुद्रा-आईएनआर आप्शंस तथा विदेशी मुद्रा-आईएनआर स्वाप्स।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

- विदेशी ईक्विटी धारक/समुद्रपारीय संगठन अथवा व्यक्ति अंतर्निहित लेनदेन के संबंध में वायदा कवर के लिए अनुरोध के साथ भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक से संपर्क करता है जिसके लिए वह सौदा-पूर्व आधार पर उचित प्रलेखन (स्कैन की गयी प्रतिलिपियां स्वीकार्य होगी) प्रस्तुत करना चाहता है जिससे भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक स्वयं अंतर्निहित बाह्य वाणिज्यिक लेनदेन होने तथा उसके समुद्रपारीय बैंकर, पता, आदि के बारे में संतुष्ट हो सके । इस संबंध में ग्राहक से निम्नलिखित वचनपत्र भी लिये जाने आवश्यक हैं-

- o कि वही अंतर्निहित एक्सपोज़र भारत में किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक/कों के पास हेज नहीं किया गया है ।

- o यदि अंतर्निहित एक्सपोज़र रद्द किया जाता है तो ग्राहक हेज संविदा तुरंत रद्द करेगा ।

- हेज की राशि और अवधि उस अंतर्निहित लेनदेन से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह आगम राशि के भुगतान/की वसूली की अवधि से संबंधित मौजूदा विनियमों के अनुसार होनी चाहिए ।

- भुगतान, नियत तारीख को प्रतिनिधि बैंक के वॉस्ट्रो अथवा प्राधिकृत व्यापारी बैंक के नॉस्ट्रो खाते के जरिये किया जाना है । भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक नॉस्ट्रो/वॉस्ट्रो खातों में निधियों को देखने/आने के बाद ही लाभार्थियों को निधियां जारी कर / दे सकते हैं ।

- एक बार रद्द की गयी संविदाएं फिर से बुक नहीं की जा सकती हैं ।

- तथापि, संविदाओं को अंतर्निहित एक्सपोज़र की शर्त के अधीन परिपक्वता पर या उससे पूर्व रोलओवर किया जा सकता है।

- संविदाएं रद्द किये जाने पर, लाभ ग्राहकों को इस शर्त के अधीन दिया जाए कि ग्राहक ने इस आशय का घोषणापत्र दिया है कि वह संविदा फिर से बुक नहीं कर रहा है अथवा संविदा अंतर्निहित एक्सपोज़र के रद्द होने के कारण रद्द की गयी है ।

7. अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों के लिए सुविधाएं

प्रयोजन

i. भारत में ईक्विटी और/अथवा कर्ज लिखतों में निवेश की गई संपूर्ण राशि के बाजार मूल्य पर, किसी दिनांक विशेष को, मुद्रागत जोखिम को हेज करना।

ii. प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) से संबंधित, अवरुद्ध राशि तंत्र (ASBA) द्वारा समर्थित (पुष्ट) आवेदन के तहत अस्थाई पूंजी प्रवाह को हेज करना।

उत्पाद

वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं जिनमें से एक मुद्रा रुपया हो और विदेशी मुद्रा-आईएनआर आप्शंस। आईपीओ से संबंधित प्रवाह के लिए विदेशी मुद्रा – आईएनआर स्वाप।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

ए) अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों को उस प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के पास अनुमत निवेशों के लिए मुद्रागत जोखिमों को हेज करने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास निवेश के प्रयोजनार्थ उन्होंने रुपया खाते रखे हों।

बी) कवर के लिए पात्रता अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक द्वारा की गई घोषणा के आधार पर प्राधिकृत व्यापारी द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशक के अर्हता प्राप्त निक्षेपागार सहभागी द्वारा मार्केट कीमत संचरण, नए निवेश प्रवाह, प्रत्यावर्तित राशि और अन्य संबंधित पैरामीटरों के आधार पर, न्यूनतम तिमाही अंतराल पर, उपलब्ध कराए गए/ प्रमाणित निवेश मूल्य की आवधिक समीक्षा करके निर्धारित की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बकाया वायदा कवर अंतर्निहित एक्स्पोजरों से समर्थित हैं।

सी) यदि प्रतिभूति की बिक्री से भिन्न कारणों से पोर्टफोलियो का बाजार मूल्य संकुचित होने से हेज अंशत: या पूर्णत: खुल (naked) जाती है, तो निवेशक के चाहने पर हेज मूल परिपक्कता अवधि तक जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।

डी) अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशकों द्वारा बुक की गई फारवर्ड संविदाएं, एक बार रद्द हो जाने पर, रद्द की गई संविदाओं के मूल्य के 10% तक फिर से बुक की जा सकती हैं। हालांकि उन्हें परिपक्वता पर या उससे पूर्व रोलओवर किया जा सकता है।

ई) हेज की लागत प्रत्यावर्तनीय निधियों और/अथवा सामान्य बैंकिंग चैनॅल के मार्फत अंत: विप्रेषण से पूरी की जानी चाहिए।

एफ) हेज संबंधी प्रासंगिक सभी बाह्य विप्रेषण लागू कर घटा कर किए जाएं।

जी) आईपीओ से संबंधित अस्थाई (transient) पूंजी प्रवाह के लिए:

i. आईपीओ के अंतर्गत अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक अवरुद्ध राशि तंत्र द्वारा समर्थित आवेदनपत्र संबंधी अंतर्प्रवाह की हेजिंग के लिए केवल विदेशी मुद्रा-रुपया स्वाप उत्पाद का प्रयोग कर सकते हैं।
ii. स्वाप की राशि आईपीओ में निवेश के लिए प्रस्तावति राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।
iii. स्वाप की अवधि 30 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
iv. एक बार रद्द की गयी संविदाएं फिर से बुक नहीं की जा सकेंगी। इस योजना के अंतर्गत रोल ओवर की भी अनुमति नहीं होगी।

खंड III

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के लिए सुविधाएं

1. बैंक की परिसंपत्ति- देयताओं का प्रबंध

उपयोगकर्ता - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

प्रयोजन –विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति-देयता संविभाग की ब्याज दर और मुद्रा जोखिम की हेजिंग

उत्पाद- ब्याज दर स्वैप, ब्याज दर कैप/कॉलर, करेंसी स्वैप, वायदा दर करार। प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपने विदेशी मुद्रा के स्वामित्व की व्यापारिक स्थिति की हेजिंग के लिए क्रय अथवा विक्रय विकल्प की खरीद का उपयोग कर सकते हैं।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्ते

इन लिखतों का उपयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :

(ए) इस संबंध में उपयुक्त नीति उनके शीर्ष प्रबंध द्वारा अनुमोदित हो।

(बी) हेज का मूल्य और उसकी परिपक्वता निहित प्रतिभूतियों से अधिक न हो।

(सी) कोई एकल आधार पर लेनदेन शुरू नहीं किया जा सकता है। यदि हेज आंशिक या पूर्ण रूप से पोर्टफोलियो के संकुचन के कारण असुरक्षित (naked) हो जाती है, तो हेज मूल परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति दी जाए और नियमित अंतराल पर बाज़ार के अनुसार मूल्यांकित की जाए ।

(डी) इन लेनदेनों से होने वाली निवल नकद आय, आय /व्यय के रूप में बुक की जाती है तथा जहां कहीं लागू हो विदेशी मुद्रा (foreign exchange position) के रूप में परिगणित की जाती है।

2. स्वर्ण कीमतों की हेजिंग

उपयोगकर्ता-

i. स्वर्ण जमा योजना के परिचालन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत बैंक
ii. बैंक, जिन्हें बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों की शर्त पर भारत में वायदा स्वर्ण संविदाएं करने के लिए अनुमति दी गयी है (अंतर-बैंक स्वर्ण सौदों से उत्पन्न स्थित सहित)

प्रयोजन- स्वर्ण की कीमत-जोखिम को हेज करना

उत्पाद- विदेश में उपलब्ध एक्स्चेंज – ट्रेडेड और ओवर द काउंटर हेजिंग उत्पाद ।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

ए) विकल्प वाले उत्पाद उपयोग करते समय, यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्यक्ष या अंतर्निहित रूप से प्रीमियम की निवल प्राप्ति नहीं हो रही है।

बी) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन प्राधिकृत बैंकों को स्वर्ण में निहित बिक्री, खरीद और ऋण के लेनदेन के लिए अपने ग्राहकों (स्वर्ण उत्पादों के निर्यातकों, स्वर्णाभूषण निर्माताओं, व्यापार गृहों, आदि) के साथ वायदा संविदा करने के लिए अनुमति है। इस प्रकार की संविदाओं की मीयाद 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

3. पूंजी की हेजिंग

उपयोगकर्ता - भारत में परिचालित विदेशी बैंक

उत्पाद- वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्ते

ए) टियर-I पूंजी -

i) भारत में स्थानीय विनियामक और सीआरआर की अपेक्षाओं के लिए पूंजीगत निधियां उपलब्ध होनी चाहिए और इसलिए पूँजीगत निधियां नॉस्त्रो खाते में पार्क नहीं करनी चाहिए। हेजिंग से उपचित होनेवाली विदेशी मुद्रा निधियां नॉस्त्रो खाते में जमा नहीं की जानी चाहिए बल्कि भारत में बैंकों के पास उसकी हर समय अदला- बदली (स्वैप) होती रहनी चाहिए।

ii) वायदा संविदाएं एक साल या उससे अधिक अवधि के लिए होनी चाहिए और परिपक्वता पर उन्हें आगे बढ़ाया (रोल-ओवर किया) जा सकता है। रद्द किए गए हेज की पुनः बुकिंग के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

बी) टियर-II पूंजी –

- बैंकिग परिचालन और विकास विभाग के 14 फरवरी 2002 के परिपत्र क्रं. आईबीएस.बीसी.65/23.10.015/2001-2002 के अनुसार विदेशी बैंकों को अपनी स्तर II पूंजी को गौण ऋण के रूप में प्रधान कार्यालय उधार के रूप में हर समय भारतीय रुपये में अदला-बदली (स्वैप) करके बचाव करने की अनुमति है।
- बैंकों को फ्लोटिंग रेट विदेशी मुद्रा देयताओं में इनोवेटिव टियर I/ और टियर II पूँजी(बांडों) के संबंध में नियत दर रुपया देयता के कनवर्जन वाले विदेशी मुद्रा-आईएनआर स्वाप लेनेदेन करने की अनुमति नहीं है ।

4. भारत में करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में सहभागिता

कृपया भाग-ए ,खंड-I, पैरा 4 देखें जिसके अनुक्रम में :

(ए) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, बैंकिग परिचालन और विकास विभाग के 6 अगस्त 2008 के परिपत्र डीबीओडी.सं.एफएसडी.बीसी.29/24.01.001/2008-09 से नियंत्रित(guided) होंगे।

(बी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में स्वयं अथवा अपने ग्राहकों की ओर से निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण मानदंडों को पूरा करने पर क्रय-विक्रय (ट्रेडिंग) और समाशोधन हेतु सदस्य बन सकते हैं:

(i) 500 करोड़ रूपये की न्यूनतम निवल मालियत।

(ii) दस प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर।

(iii) निवल अनर्जक परिसंपत्तियां 3% से अधिक न हों।

(iv) पिछले 3 वर्षों में निवल लाभ अर्जित किया हो ।

विवेकपूर्ण मानदंड पूरे करने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक मुद्रा फ्यूचर्स संविदाओं के क्रय-विक्रय तथा समाशोधन और जोखिम प्रबंधन हेतु अपने बोर्ड के अनुमोदन से विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित करें।

(सी) उल्लिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण मानदण्ड पूरे न करने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक जो कि शहरी सहकारी बैंक अथवा राज्य सहकारी बैंक हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभागों के अनुमोदन एवं शर्तों के तहत मुद्रा फ्यूचर्स बाजार में केवल ग्राहक (क्लायंट) के रूप में भाग ले सकते हैं।

(डी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, निवल जोखिम स्थिति (एनओपी) और सकल अंतराल सीमाओं जैसे विवेकपूर्ण मानदण्डों की सीमा में रहकर अपना कारोबार करेंगे। अपने निजी खाते पर बैंकों के निवेश करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में निवल जोखिम स्थिति (एनओपी) और सकल अंतराल सीमाओं का हिस्सा बनेंगे ।

(ई) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक अपनी नेट ओपन पोजीशन लिमिट (NOPL) एवं एक्स्चेंज द्वारा जोखिम प्रबंधन के प्रयोजन एवं बाजार की अक्षुण्णता (integrity) बनाए रखने के लिए विनिर्दिष्ट सीमा में ईटीसीडी मार्केट में मालिकाना ट्रेडिंग कर सकते हैं।

(एफ) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट की पोजीशन के बदले ईटीसीडी मार्केट में पोजीशन को संतुलित/समायोजित (नेट/आफ सेट) भी कर सकता है। विदेशी मुद्रा बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुये, भारतीय रिजर्व बैंक अपेक्षित होने पर विशेष रूप से ओटीसी मार्केट के लिए NOPL (प्रतिशत के रूप में) में अलग से एक उप-सीमा का निर्धारण कर सकता है।

5. भारत में एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस मार्केट में सहभागिता

कृपया भाग-ए ,खंड-I, पैरा 5 देखें जिसके अनुक्रम में :

(ए) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण अपेक्षाओं की पूर्ति के अधीन स्वयं के लिए और अपने ग्राहकों की ओर से मान्यता प्राप्त शेयर बाजार के एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस मार्केट में ट्रेडिंग करने तथा क्लियरिंग करने के लिए सदस्य बनने की अनुमति है :

(i) 500 करोड़ रूपये की न्यूनतम निवल मालियत।

(ii) दस प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर।

(iii) निवल अनर्जक परिसंपत्तियां 3% से अधिक न हों।

(iv) पिछले 3 वर्षों में निवल लाभ अर्जित किया हो ।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक जो विवेकपूर्ण मानदंड पूरे करते हैं वे अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस संविदाओं की ट्रेडिंग तथा क्लियरिंग और जोखिम प्रबंधन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित करें।

(बी) उल्लिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण मानदण्ड पूरे न करने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक जो शहरी सहकारी बैंक अथवा राज्य सहकारी बैंक हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभागों के अनुमोदन एवं शर्तों के तहत करेंसी ऑप्शंस बाजार में केवल ग्राहक (क्लायंट) के रूप में भाग ले सकते हैं।

(सी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, निवल जोखिम स्थिति (एनओपी) और सकल अंतराल सीमाओं जैसे विवेकपूर्ण मानदण्डों की सीमा में रहकर अपना कारोबार करेंगे। एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस में बैंक की ऑप्शन पोजीशन स्वयं के लिए किए गए लेनदेनों संबंधी जोखिम उसकी निवल ओपन स्थिति (एनओपी) और सकल अंतराल सीमाओं का एक हिस्सा होंगे ।

भाग बी

अनिवासी बैंकों के खाते

1. सामान्य

(i) किसी अनिवासी बैंक के खाते में क्रेडिट देना अनिवासियों को भुगतान करने का अनुमत तरीका है और इसी कारण, यह विदेशी मुद्रा के अंतरण के लिए लागू विनियमों के अधीन है ।

(ii) किसी अनिवासी बैंक के खाते को डेबिट करना वास्तव में किसी विदेशी मुद्रा में आवक विप्रेषण करना है।

2. अनिवासी बैंकों के रुपया खाते

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक को पूर्व संदर्भित किए बिना, अपनी विदेश स्थित शाखा अथवा संपर्क शाखा के नाम में रुपया खाता (बिना ब्याज वाले) खोल/ बंद कर सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर कार्यरत पाकिस्तानी बैंकों की शाखाओं के नाम में रुपया खाते खोलने के लिए रिज़र्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता है।

3. अनिवासी बैंकों के खातों का निधीयन

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक भारत में अपनी सुसंगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने खातों में निधि रखने हेतु अपने विदेशी संपर्कों/ शाखाओं से प्रचलित बाज़ार दर पर विदेशी मुद्रा की मुक्त रूप से खरीद कर सकते हैं।

(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेशी बैंक, रुपये के संबंध में कोई दुविधापूर्ण नज़रिया नहीं रखते हैं , खाते में होने वाले लेनदेनों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। इस प्रकार की घटित होने वाली किसी भी घटना को भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में लाया जाए।

टिप्पणी : निधीयन के लिए रुपये के बदले विदेशी मुद्रा की वायदा खरीद अथवा बिक्री निषिद्ध है । अनिवासी बैंकों को रुपये में द्विमार्गी भावों के प्रस्ताव करना भी निषिद्ध है।

4. अन्य खातों से अंतरण

उसी बैंक अथवा भिन्न बैंकों के खातों से निधियों के मुक्त रूप से परस्पर अंतरण की अनुमति है।

5. विदेशी मुद्राओं में रुपये का परिवर्तन

अनिवासी बैंकों के रुपये खाते में रखी शेष राशि विदेशी मुद्रा में मुक्त रूप से परिवर्तित की जा

सकती है। इस प्रकार के सभी लेनदेन फार्म ए 2 में दर्ज किए जाएं और संगत विवरणियों के तहत खाते में तदनुरूपी नामे (डेबिट) फार्म ए -3 में दर्ज किए जाएं।

6. भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता बैंकों की जिम्मेदारियां

खाते में क्रेडिट देने से संबंधित मामलों में भुगतान करने वाले बैंक यह सुनिश्चित करें कि सभी विनियामक अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है और उन्हें यथास्थिति , फार्म ए1/ ए2 में ठीक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है।

7. रुपया विप्रेषणों की वापसी

इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि धन वापसी क्षतिपूर्ति रूप के लेनदेनों की रक्षा के लिए नहीं की जा रही है, आवक विप्रेषणों को रद्द करने अथवा उनकी वापसी के अनुरोध को रिज़र्व बैंक को संदर्भित किए बिना अनुपालित किया जाए।

8. विदेश स्थित शाखाओं/ संपर्क कार्यालयों को ओवरड्राफ्ट/ऋण

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, अपनी विदेश स्थित शाखाओं/ संपर्क कार्यालयों को कारोबारी सामान्य जरूरतें पूरी करने के लिए अधिकतम कुल 500 लाख रुपये तक के अस्थायी ओवरड्राअल की अनुमति दे सकते हैं। यह सीमा भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक की सभी शाखाओं की बहियों में सभी विदेशी शाखाओं और संपर्क कार्यालयों पर बकाया राशि पर आधारित होती है। इस सुविधा का उपयोग खातों के निधीयन को स्थगित करने के लिए न किया जाए । यदि उक्त सीमा से अधिक के ओवरड्राफ्ट का पांच दिन के भीतर समायोजन नहीं किया जाता है तो उसका कारण दर्शाते हुए उसकी रिपोर्ट महीने की समाप्ति के 15 दिन के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400001 को दी जाए। यदि व्यवस्था वैल्यू डेटिंग (value dating) के लिए है तो इस तरह की रिपोर्ट जरूरी नहीं है।

(ii) विदेशी बैंकों को उक्त (i) में उल्लिखित से अधिक कोई अन्य ऋण सुविधा देने के इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई 400001 की पूर्व अनुमति प्राप्त करें।

9. विनिमय गृहों के रुपये खाते

भारत में निजी प्रेषणों को सुविधा प्रदान करने के लिए विनिमय गृहों के नाम से रुपये खाते खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक है। व्यापार लेनदेन के वित्त पोषण के लिए विनिमय गृहों के माध्यम से प्रेषण प्रति लेनदेन 5,00,000 रुपये तक करने की अनुमति है।

भाग - सी

अंतर बैंक विदेशी मुद्रा कारोबार

1. **सामान्य**

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के निदेशक मंडल , विविध राजकोषीय कार्यों के लिए उपयुक्त नीति बनाएं और उपयुक्त सीमा नियत करें।

2. **स्थिति और अंतराल**

एक दिवसीय निवल आरंभिक विदेशी मुद्रा की स्थिति (संलग्नक- I) और सकल अंतर सीमा से, तत्संबंध में निदेशक बोर्ड/प्रबंधन समिति का अनुमोदन मिलने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक को शीघ्र अवगत कराया जाए।

3. **अंतर बैंक लेनदेन**

पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक , मुक्त रूप से निम्नवत् विदेशी मुद्रा का लेनदेन कर सकते हैं :

ए) भारत में , प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के साथ :

(i) रुपये अथवा अन्य विदेशी मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा की खरीद/बिक्री/अदला-बदली।

(ii) विदेशी मुद्रा में जमा राशि रखना/ स्वीकार करना और उधार लेना/ देना।

बी) विदेशी बैंकों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित ऑफ-शोर (off- shore) बैंकिंग इकाइयों के साथ :

(i) ग्राहकों के लेनदेन की रक्षा अथवा अपने स्वयं की स्थिति के समायोजन के लिए अन्य विदेशी मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा की खरीद/ बिक्री/ अदला-बदली।

(ii) विदेश स्थित बाज़ारों में ट्रेडिंग पोजीशन की पहल करना।

टिप्पणी :

ए) अनिवासी बैंकों के खातों का निधीयन - भाग-बी का पैरा बी देखें।

बी) अंतर बैंक बाज़ार में की गई बिक्री के लिए फार्म ए 2 को भरना जरूरी नहीं है परंतु ऐसे सभी लेनदेनों की सूचना रिज़र्व बैंक को 'आर' विवरणियों में दी जाए।

4. **विदेशी मुद्रा खाते / विदेशी बाज़ारों में निवेश**

(i) विदेशी मुद्रा खाते में अंतर्प्रवाह मुख्यतः ग्राहकों से संबंधित लेनदेन, अदला-बदली कारोबार, जमा, उधार आदि द्वारा होता है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, विदेशी मुद्राओं में, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित स्तर तक शेष रख सकते हैं। वे अपनी विदेश स्थित शाखाओं/ संपर्क शाखाओं में

एक दिवसीय जमा और निवेश के माध्यम से अधिशेष राशि का मुक्त रूप से प्रबंध कर सकते हैं, बशर्ते वे रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित अंतराल सीमा का पालन करते हों।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमा तक विदेशी बाजारों में निवेश के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे निवेश विदेशी मुद्रा बाज़ार के लिखतों में और/या विदेशी राज्य द्वारा जारी एक वर्ष से कम की शेष परिपक्वता अवधिवाले और स्टैंडर्ड ऐण्ड पुअर / एफआइटीसीएच, आइबीसीए की AA(-) श्रेणी प्राप्त अथवा मूडीज़ की Aa3 श्रेणी प्राप्त कर्ज लिखतों में कर सकते हैं। विदेशी राज्य के मुद्रा बाज़ार लिखतों को छोड़कर कर्ज लिखतों में निवेश के प्रयोजन से बैंक के बोर्ड देश की रेटिंग और देशवार सीमा जहाँ जरूरी हो, अलग से निर्धारित कर सकते हैं।

टिप्पणीः इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "मुद्रा बाज़ार के लिखत" में ऐसा कोई कर्ज लिखत शामिल है जिसकी परिपक्वता अवधि खरीद की तारीख को एक साल से अधिक न हो।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, विदेशी बाज़ारों में एफसीएनआर (बी) खाते में पड़ी अनियोजित निधि को दीर्घावधि नियत आय की प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं, बशर्ते प्रतिभूतियों में निवेश की परिपक्वता निहित एफसीएनआर (बी) जमा की परिपक्वता अवधि से अधिक न हो।

(iv) नॉस्ट्रो खाते में अधिशेष दर्शानेवाली विदेशी मुद्रा निधियों को निम्न प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है :

(ए) लागू विवेकशील/ ब्याज दर मानदंडों, ऋण अनुशासन और प्रचलित ऋण निगरानी दिशा-निर्देशों के अधीन विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंध करने के लिए स्वाभाविक हेज (natural hedge) अथवा जोखिम प्रबंधन की नीति रखने वाले अपने निवासी ग्राहकों को उनकी विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं अथवा निर्यातकों/कार्पोरेटस की रुपया कार्यशील पूंजी/ पूंजीगत खर्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ऋण देने के लिए ।

(बी) भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन, विदेश स्थित भारतीय पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों जिनकी कम से कम 51 प्रतिशत ईक्विटी निवासी कंपनी के पास हो, को ऋण देने के लिए।

(v) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा, समय- समय पर जारी निर्देशों के अनुसार, अदावी खातों में जमा शेष, असंगत नामे/ जमा प्रविष्टियों को बट्टे खाते डाल सकते हैं/ अंतरित कर सकते हैं।

5. ऋण/ओवरड्राफ्ट

ए) निम्नलिखित क्रमांक (ई) में दी गई शर्तों के तहत, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक की समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार की सभी श्रेणियां (नीचे (सी) के उधार को छोड़कर), जिसमें वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार और उनके प्रधान कार्यालय, समुद्रपारीय शाखाओं और भारत से बाहर के संपर्ककर्ताओं अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य एंटिटी से प्राप्त ऋण/ओवरड्राफ्ट

एवं नास्त्रो खाते में ओवरड्राफ्ट (5 दिनों के अंदर समायोजित न किए गए) शामिल हैं, उसकी अक्षत स्तर I पूंजी (अनइम्पेयर्ड टियर-I कैपिटल) के 100 प्रतिशत अथवा 10 मिलियन अमरीकी डॉलर (अथवा इसके समतुल्य), जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होना चाहिए। उपर्युक्त सीमा विदेश की उनकी सभी शाखाओं/ संपर्ककर्ताओं से भारत स्थित सभी कार्यालयों और शाखाओं द्वारा ली गई सकल रशि पर लागू है और इसमें देशी स्वर्ण ऋण के निधीयन के लिए स्वर्ण में लिए गए विदेशी उधार भी शामिल है (संदर्भ: डीबीओडी का 5 सितंबर 2005 का परिपत्र सं. आईबीडी.बीसी. 33/23.67.001/2005-06)। उपर्युक्त सीमा से अधिक के आहरण यदि पांच दिन के अंदर समायोजित नहीं किए जाते हैं तो जिस महीने में सीमा से अधिक का आहरण किया गया है उसकी समाप्ति से 15 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट संलग्नक-VIII में दिए गए फार्मेट में प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेश मुद्रा बाज़ार प्रभाग,केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400001 को प्रस्तुत की जाए। राशि उपलब्धता की तारीख (वैल्यू डेटिंग) की व्यवस्था रहने पर ऐसी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।

बी) इस प्रकार जुटाई गई निधियों का उपयोग भारत में ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में उधार देने से इतर प्रयोजनों के लिए किया जाए तथा रिज़र्व बैंक को संदर्भित किए बगैर चुका दिया जाए। इस नियम के अपवादस्वरूप, प्राधिकृत व्यापारियों को उधार ली गई निधियों और जनवरी 31, 2003 के आइईसीडी परिपत्र सं. 12/04.02.02/2002-03 के अनुसार निर्यात ऋण के लिए विदेशी मुद्रा प्रदान करने हेतु अदला-बदली (स्वैप)के जरिए प्राप्त विदेशी मुद्रा निधियों के उपयोग की अनुमति है। इस सीमा से अधिक के नए उधार भारतीय रिज़र्व बैंक के पुर्वानुमोदन से ही लिए जा सकते हैं। नए बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के अनुसार आवेदनपत्र दिए जाएं।

(सी) अक्षत पूंजी स्तर I के 100% की सीमा या 10 मिलियन अमरीकी डालर (अथवा इसके समतुल्य), में से जो भी अधिक हो, की सीमा से निम्नलिखित उधार बाहर बने रहेंगे :

(i) रुपए/विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण तथा निर्यातकों को ग्राहक सेवा से संबंधित डीबीओडी के 2 जुलाई 2013 के मास्टर परिपत्र में निर्धारित शर्तों के अधीन निर्यात ऋण के वित्तपोषण हेतु प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों द्वारा समुद्रपारीय उधार।

(ii) स्तर II पूंजी के रूप में भारत में अपनी शाखाओं के पास विदेशी बैंकों के प्रधान कार्यालयों द्वारा रखे गए गौण ऋण।

(iii) नवोन्मेषी बेमीयादी लिखत और कर्ज पूंजी लिखतों को जारी करके विदेशी मुद्रा में उगाही गई/ बढ़ाई गई पूंजी निधियां जो 25 जनवरी 2006 के डीबीओडी परिपत्र सं. बीपी.बीसी. 57/ 21.01. 002/2005-06, 21 जुलाई 2006 के डीबीओडी परिपत्र सं. बीपी.बीसी. 23/ 21.01.002/ 2006-07 और विदेशी मुद्रा में बेमीयादी कर्ज लिखत और कर्ज पूंजी लिखत जो 2 मई 2012 के डीबीओडी परिपत्र सं. बीपी.बीसी. 98/ 21.06.2001/2011-127 के अनुसार हैं।

(iv) रिज़र्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन से कोई अन्य विदेशी उधार ।

(डी) ऋण/ ओवरड्राफ्ट पर ब्याज (कर का निवल) रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना प्रेषित किया जा सकता है।

(ई) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा उसकी अक्षत टियर I पूंजी के 50 प्रतिशत से ज्यादा उधार

निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत लिए जा सकते हैं:

(i) समुद्रपारीय उधार लेने के संबंध में बैंक के पास उसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए जिसमें जोखिम प्रबंधन व्यवहार शामिल होना चाहिए जिसका पालन बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में समुद्रपारीय उधार लेते समय किया जाए।

(ii) बैंक द्वारा 12 प्रतिशत सीआरएआर बनाए रखा जाए।

(iii) वर्तमान उच्चतम सीमा से अधिक के उधारों की न्यूनतम परिपक्वता (maturity) अवधि तीन साल होनी चाहिए।

भाग – डी

भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट

(i) प्रत्येक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, का प्रधान/ मुख्य कार्यालय, प्रतिदिन विदेशी मुद्रा के पण्यावर्त की रिपोर्ट ऑनलाईन रिटर्न्स फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से फार्म एफटीडी में और अंतराल स्थिति एवं नकदी शेष की रिपोर्ट, संलग्नक II में दिए फार्मेट के अनुसार, फार्म जीपीबी में भेजे।

(ii) प्रत्येक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का प्रधान/ मुख्य कार्यालय नॉस्त्रो/ वॉस्त्रो खाते की जमा शेष विवरणी मासिक आधार पर, संलग्नक-III में दिए गए फार्मेट में, निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 8वीं मंजिल, फोर्ट, मुंबई 400001 को भेजे। फार्मेट में उल्लिखित फैक्स अथवा ई-मेल नंबर / पते पर भी आंकड़े भेजे जाएं।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक निवासियों द्वारा किए गए क्रास करेंसी डेरिवेटिव लेनदेनों के आंकड़ों को समेकित करें और छमाही रिपोर्ट (जून और दिसंबर के लिए) संलग्नक-IV में उल्लिखित फार्मेट के अनुसार भेजें।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, विदेशी मुद्रागत अपने जोखिमों की प्रत्येक तिमाही के अंत के ब्योरे संलग्नक-V में उल्लिखित फार्मेट में भेजें। प्राधिकृत व्यापारी सितंबर 2013 को समाप्त तिमाही से उक्त रिपोर्ट एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैग्वेज़ (XBRL) प्रणाली के द्वारा आनलाइन भेजें जिसके लिए लिंक https:// secweb.rbi.org.in/orfsxbrl/ है। जिन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को XBRL प्रणाली तक पहुंचने के लिए लागिन आईडी/पासवर्ड की अपेक्षा हो वे अपना ई-मेल पता और संपर्क हेतु टेलीफोन नंबर fedcofmd@rbi.org.in और fedcomp@rbi.org.in दे सकते हैं। कृपया नोट करें कि विनिर्दिष्ट मानदंड पूरे करने वाले सभी कंपनी ग्राहकों के जोखिमों के ब्योरों को रिपोर्ट में शामिल किया जाए। प्राधिकृत व्यापारी बैंक यह रिपोर्ट बैंक की लेखा बहियों के आधार पर प्रस्तुत करें, न कि कंपनी की विवरणियों के आधार पर ।

(v) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I किए गए ऑप्शंस लेनदेनों (एफसीवाई-आईएनआर) के ब्योरे साप्ताहिक आधार पर संलग्नक-VIII में दिए गए फॉर्मेट में प्रस्तुत करें ।

(vi) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक सभी संवर्गों के अंतर्गत अपनी कुल बकाया विदेशी मुद्रा उधार की प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार के आधार पर रिपोर्ट संलग्नक-IX के फार्मेट के अनुसार दें। रिपोर्ट अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक प्राप्त हो जानी चाहिए।

(vii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों से अपेक्षित है कि वे संलग्नक-X में दिए गए फार्मेट के अनुसार, पिछले कार्य निष्पादन के आधार पर वायदा संविदा बुकिंग सुविधा के तहत उनके ग्राहकों द्वारा स्वीकृत और उपयोग की गई सीमाओं के संबंध में एक मासिक रिपोर्ट (प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार को) प्रस्तुत करें। रिपोर्टें ईमेल द्वारा को इस प्रकार भेजी जाएं कि वे अगले माह की 10 तारीख तक विभाग में पहुंच जाएं।

(viii) सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के प्रधान/ मुख्य कार्यालय सभी विदेशी मुद्राओं की अपनी धारिता (होल्डिंग) का विवरण, फार्म बीएएल में, पाक्षिक आधार पर संबंधित रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात् सात दिनों के अंदर ऑन लाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से भेजें।

(ix) विदेशी संस्थागत निवेशक/ निधि का नाम, रक्षा की पात्र राशि और ली गई वास्तविक रक्षा को दर्शाते हुए, विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा लिए गए कवर के बारे में एक मासिक विवरण संलग्नक XIII में, अगले महीने की दस तारीख तक भेजा जाए।

(x) प्रत्येक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का प्रधान/ मुख्य कार्यालय अपने सभी कार्यालयों/अपनी सभी शाखाओं, जो अनिवासी बैंकों के रुपया खाते रखती हैं, की अद्यतन सूची (तीन प्रतियों में) प्रति वर्ष दिसंबर की समाप्ति पर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें आबंटित कोड नंबर का उल्लेख करते हुए, भेजें। यह सूची अनुवर्ती वर्ष की 15 जनवरी से पहले भेजी जाए। कार्यालयों/ शाखाओं का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों के क्षेत्राधिकार , जहां वे कार्यरत हैं, के अनुसार किया जाना चाहिए।

(xi) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों से अपेक्षित है कि वे लघु एवं मझोले उद्यमों और निवासी व्यक्तियों, फार्मों एवं कंपनियों द्वारा बुक की गयी और निरस्त की गयी वायदा संविदा की, संलग्नक-XIV में दिए गए फार्मेट में, तिमाही रिपोर्ट अनुवर्ती महीने के प्रथम सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें।

(xii) प्राधिकृत व्यापारी, योजना के तहत, अनिवासियों द्वारा किए गए लेनदेनों पर आंकड़े समेकित करें और संलग्नक-XIX में दिए गए फार्मेट में तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

(xiii) योजना के तहत अनिवासियों द्वारा किए गए हेज लेनदेन, बार-बार रद्द करने और/अथवा निहित व्यापार लेनदेन, जो संदिग्ध लगें, के बारे में प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा संलग्नक-XX में दिए गए फार्मेट में तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ।

जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, ये रिपोर्टें प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक,विदेशी मुद्रा प्रबंध विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, 11वीं मंज़िल, केंद्रीय कार्यालय भवन, मुंबई – 400001 को प्रेषित की जानी हैं।

संलग्नक I

[भाग सी, पैराग्राफ 2 देखें]

ए. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (बैंक) की विदेशी मुद्रा एक्स्पोज़र सीमाओं के संबंध में दिशानिर्देश

प्राधिकृत व्यापारियों की विदेशी मुद्रा एक्स्पोज़र सीमाएं दो प्रकार की होंगी।

i. **विदेशी मुद्रा जोखिम पर कैपिटल चार्ज की गणना के लिए नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट (एनओओपीएल)।**
ii. **एक्स्चेंज रेट मैनेजमेन्ट के लिए पोज़ीशन लिमिट जिनमें रुपया एक मुद्रा के रूप में शामिल है।**

भारत में गठित बैंकों के लिए उनके बोर्डों द्वारा निर्धारित एक्सपोजर सीमाएं संबंधित बैंकों के लिए समग्र सीमाएं होंगी और उन्हीं में समुद्रपारीय शाखाओं और अपतटीय बैंकिंग यूनिटों सहित उनकी सभी शाखाओं की सीमाएं शामिल होंगी। विदेशी बैंकों के लिए उनकी इन सीमाओं में केवल भारत में स्थित उनकी शाखाएं शामिल होंगी।

i.विदेशी मुद्रा जोखिम पर कैपिटल चार्ज की गणना के लिए एनओओपीएल

संबंधित बैंक के बोर्ड द्वारा एनओओपीएल निर्धारित की जाए और उसे अविलंब रिज़र्व बैंक को सूचित किया जाए। हालाँकि, ऐसी सीमाएं संबंधित बैंक की कुल पूँजी (टियर I और टियर II पूँजी) के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नेट ओपन पोजीशन की गणना नीचे दिए गए तरीके से की जाए:

1.एकल मुद्रा में नेट ओपन पोजीशन की गणना

प्रत्येक विदेशी मुद्रा के लिए ओपन पोजीशन पहले अलग-अलग अनिवार्यत: मापी जाए। किसी मुद्रा में ओपन पोजीशन (ए) निवल हाज़िर स्थिति, (बी) निवल वायदा स्थिति और (सी) निवल विकल्प स्थिति का जोड़ है।

ए) निवल हाज़िर स्थिति

तुलनपत्र में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देयताओं का अंतर निवल हाज़िर स्थिति है। इसमें सभी उपचित आय/व्यय शामिल किए जाएं।

बी) निवल वायदा स्थिति

यह विदेशी मुद्रा लेनदेन समाप्त होने के परिणाम स्वरूप प्राप्त सभी राशियों में से भविष्य में भुगतान की जाने वाली समस्त राशियों को घटाकर प्राप्त निवल राशि को दर्शाती है। इन लेनदेनों में, जिन्हें बैंक बहियों में तुलनपत्र में न आने वाली मदों में रिकार्ड किया गया है, निम्नलिखित शामिल होंगे:

i. अब तक न निपटाए गए हाज़िर लेनदेन;
ii. वायदा लेनदेन;
iii. गारंटी और विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित तत्समान वायदे, जिन्हें आहूत किया जाना निश्चित है;
iv. निवल भावी आय/व्यय जो अब तक अर्जित नहीं है परंतु (रिपोर्टिंग बैंक के विवेकाधीन) पहले ही पूर्णत: हेज किए गए हैं;
v. मुद्रा के भावी सौदों (currency futures) से संबंधित प्राप्य/भुगतान-योग्य राशि को समायोजित कर प्राप्त निवल राशि और मुद्रा के भावी सौदे/स्वैप पर मूल राशि (principal)।

सी) निवल ऑप्शन्स स्थिति

प्राधिकृत व्यापारियों के ऑप्शन्स जोखिम प्रबंध प्रणाली में दर्शाई गई "डेल्टा - समकक्ष" हाज़िर मुद्रा-स्थिति ऑप्शन्स स्थिति है और इसमें कोई भी डेल्टा-हेज शामिल है जो 1(ए) या 1(बी)(i) और (ii) में पहले से शामिल नहीं है।

2. समग्र नेट ओपन पोजीशन की गणना

इसमें बैंक की विभिन्न मुद्राओं की अधिबिक्री और अधिक्रय के मिलेजुले निहित जोखिम को मापना शामिल है। यह निर्णय लिया गया है कि समग्र निवल जोखिम स्थिति की गणना के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य "शार्टहैंड मेथड" को अपनाया जाए। इसलिए बैंक निम्न प्रकार से समग्र निवल स्थिति की गणना करें:

i. प्रत्येक मुद्रा की नेट ओपन पोजीशन की गणना करें (उक्त पैराग्राफ 1)।
ii. नेट ओपन पोजीशन की गणना स्वर्ण में करें।
iii. निवल स्थिति को विविध मुद्राओं और स्वर्ण को भारतीय रिज़र्व बैंक / एफईडीएआई के मौज़ूदा दिशानिर्देशों के अनुसार रुपये में परिवर्तित करें। वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं सहित सभी डेरिवेटिव लेनदेनों को वर्तमान मूल्य समायोजन आधार पर रिपोर्ट किया जाए।
iv. सभी निवल अधिबिक्री का जोड़ प्राप्त करें।
v. सभी निवल अधिक्रय का जोड़ प्राप्त करें।

समग्र निवल विदेशी मुद्रा की स्थिति उक्त मद (iv) अथवा (v) से अधिक है। विदेशी मुद्रा की उक्त प्रकार से गणना की गई समग्र निवल स्थिति बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमत सीमा के अंदर रखी जानी चाहिए।

टिप्पणी: प्राधिकृत व्यापारी बैंक, नेट ओपन पोजीशन की गणना के प्रयोजन से वर्तमान मूल्य समायोजन के आधार पर वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं सहित सभी डेरिवेटिव लेनदेनों को रिपोर्ट करें। प्राधिकृत व्यापारी बैंक वर्तमान मूल्य समायोजन के लिए उनके अपने प्रतिफल ग्राफों (यील्ड कर्व) का चयन करें। हालाँकि, प्रतिफल ग्राफों (यील्ड कर्व/कर्व्स) के प्रयोग के संबंध में बैंकों के पास परिसंपत्ति देयता प्रबंध समिति द्वारा अनुमोदित आंतरिक नीति होनी चाहिए और उसको सतत आधार पर लागू किया जाना चाहिए।

3. अपतटीय एक्सपोज़र

समुद्रपारीय मौजूदगी वाले बैंकों को चाहिए कि वे उल्लिखित तरीके से एकल आधार पर अपतटीय एक्सपोज़र की गणना करें और उसे तटीय एक्सपोज़रों से समायोजित न करें। समग्र सीमा (तटीय + अपतटीय) को एनओओपी माना जाए और उस पर पूँजी प्रभार लगाया जाएगा। विदेशी शाखाओं की संचित अधिशेष की गणना ओपन पोजीशन के लिए नहीं की जाएगी। निदर्शी उदाहरण नीचे दिया गया है:

यदि मान लिया जाए कि किसी बैंक की तीन विदेशी शाखाएं हैं और तीनों शाखाओं की ओपन पोजीशन निम्नवत है:

शाखा ए: + रु. 15 करोड़
शाखा बी: + रु. 5 करोड़
शाखा सी: - रु. 12 करोड़

समुद्रपारीय शाखाओं के लिए कुल मिलाकर ओपन पोजीशन रु.20 करोड़ होगी।

4. पूँजी[3] अपेक्षा

रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, यथा विनिर्दिष्ट पूँजी होनी चाहिए।

5. अन्य दिशानिर्देश

i. प्राधिकृत व्यापारियों की परिसंपत्ति देयता प्रबंध समिति/आंतरिक लेखापरीक्षा समिति विनिर्दिष्ट सीमाओं के उपयोग और अनुपालन की निगरानी करे।
ii. प्राधिकृत व्यापारियों के पास एक ऐसी भी प्रणाली होनी चाहिए, जो अपेक्षा होने पर, दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट NOOP के विभिन्न घटकों को रिज़र्व बैंक द्वारा सत्यापित किए जाने के लिए प्रदर्शित कर सके।
iii. प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा कारोबारी दिन के अंत तक किए गए लेनदेन विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र सीमाओं के आकलन के लिए संगणित (compute) किए जाएंगे। कारोबारी दिन की समयावधि की समाप्ति के बाद किए गए लेनदेन अगले दिन की पोजीशनों में शामिल किए जाएंगे। कारोबारी दिन की समाप्ति का समय बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

ii. एक्स्चेंज रेट मैनेजमेन्ट हेतु उन पोज़ीशनों के लिए सीमाएं (NOP-INR) जिनमें रुपया एक मुद्रा के रूप में शामिल है

ए. बाज़ार की स्थिति के मद्देनज़र, रिज़र्व बैंक द्वारा स्वविवेक से प्राधिकृत व्यापारियों हेतु एनओपी-आईएनआर (सीमा) निर्धारित की जाएगी।

[3] यहाँ पूँजी का संदर्भ भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार टियर । पूँजी से है।

बी. लांग और शार्ट तटीय पोजीशनों (शार्ट हैंड तरीके से आकलित) को समायोजित करके और उसमें अपतटीय शाखाओं की नेट आईएनआर पोजीशनों को जोड़ कर NOP-INR की गणना की जाएगी।

सी. बैंकों द्वारा एक्स्चेंजों में ट्रेडिंग किए गए करेंसी फ्यूचरों / आप्शनों के संबंध में ली गयी पोजीशनें NOP-INR का भाग होंगी।

डी. जहाँ तक आप्शन पोजीशनों का सबंध है उतार-चढ़ाव वाले बाज़ार के बंद होने के दौरान लार्ज आप्शन ग्रीक्स (large options Greeks) के कारण हुई किसी बेशी स्थिति/पुनर्मूल्यन को तकनीकी भंग माना जाए। तथापि, ऐसे भंग की निगरानी बैंकों द्वारा उचित आडिट ट्रेल के मार्फत की जानी है। उचित प्राधिकारियों (ALCO/आंतरिक लेखा परीक्षा समिति) के द्वारा ऐसे भंग को नियमित और मंजूर भी किया जाना चाहिए।

बी. समग्र अंतर सीमाएं (AGL)

i. संबंधित बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा समग्र अंतर सीमाओं (AGL) का निर्धारण किया जाना चाहिए और उसे अविलंब रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालाँकि, ऐसी सीमाएं बैंक की कुल पूँजी (टियर I और टियर II पूँजी) के छ: गुने से अधिक नहीँ होनी चाहिए।

ii. तथापि, जिन प्राधिकृत व्यापारियों ने समग्र विदेशी मुद्रा अंतराल जोखिमों के संबंध में अवधि-वार PV01 सीमाएं और VaR जैसे बेहतर उपायों का निर्धारण कर रखा हो उन्हें समग्र अंतर सीमाओं के स्थान पर अपनी पूंजी, जोखिम बर्दाश्त करने की क्षमता, आदि पर आधारित PV01 सीमाएं और VaR के निर्धारण की अनुमति है और उसे रिज़र्व बैंक को सूचित किया जाना चाहिए। अंतरिक नीति के रूप में इन सीमाओं की प्रक्रिया और गणना को स्पष्टत: प्रलेखित किया जाना चाहिए और उनका सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए।

संलग्नक- II

[भाग- डी, पैरा (i) देखें]

विदेशी मुद्रा टर्नओवर डाटा की रिपोर्टिंग - एफटीडी और जीपीबी

एफटीडी और जीपीबी रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश और फार्मेट नीचे दिए गए हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक सुनिश्चित करें कि इन दिशा-निर्देशों के आधार पर रिपोर्टें उचित रूप से संकलित की जाती हैं; एक खास तारीख के आंकड़े कारोबार की समाप्ति के अगले कार्य दिवस तक हमारे पास पहुंच जाने चाहिए।

एफटीडी

1. स्पॉट - नकदी और टॉम लेनदेनों को "स्पॉट" लेनदेनों में शामिल किया जाना है।

2. स्वैप - स्वैप लेनदेनों के तहत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के बीच हुए विदेशी मुद्रा स्वैप की ही रिपोर्टिंग की जाए। दीर्घावधि स्वैप (परस्पर लेनदेन की मुद्रा और विदेशी मुद्रा रुपया स्वैप दोनों) को इस रिपोर्ट में शामिल न किया जाए। स्वैप लेनदेनों की रिपोर्टिंग केवल एक बार की जाए तथा "स्पॉट" अथवा "फॉरवर्ड" लेनदेनों के तहत इसे शामिल न किया जाए। खरीद/ बिक्री स्वैप को "स्वैप" के तहत "खरीद" की तरफ शामिल किया जाए जबकि बिक्री/ खरीद स्वैप को "बिक्री" की तरफ दर्शाया जाए।

3. वायदा संविदाओं को रद्द करना - व्यापारियों से खरीद पर वायदा संविदाओं के रद्द होने के तहत रिपोर्ट की जानेवाली राशि, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों द्वारा रद्द किए गए वायदा व्यापारी बिक्री संविदा का सकल हो (बाज़ार में आपूर्ति को जोड़कर)। रद्द वायदा संविदाओं की बिक्री की तरफ, रद्द वायदा खरीद संविदाओं के सकल को दर्शाया जाए (बाज़ार में मांग को जोड़कर)।

4. एफसीवाई/एफसीवाई लेनदेन - लेनदेन के दोनों चरणों को अपने-अपने स्तम्भ में रिपोर्ट किया जाए। उदाहरण के लिए ईयूआर/ यूएसडी खरीद संविदा में ईयूआर राशि को खरीद की तरफ शामिल किया जाए जबकि यूएसडी राशि को बिक्री की तरफ शामिल किया जाए।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ लेनदेन को अंतर बैंक लेनदेनों में शामिल किया जाए। विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत बैंकों से इतर वित्तीय संस्थाओं के साथ लेनदेनों को व्यापारी लेनदेनों में शामिल किया जाए।

जीपीबी

1. विदेशी मुद्रा शेष - सभी विदेशी मुद्रा नकद शेष और निवेशों को अमरीकी डॉलर में परिवर्तित किया जाए और इस शीर्ष के तहत रिपोर्ट किया जाए।

2. निवल जोखिम विदेशी मुद्रा स्थिति- यह करोड़ रुपए में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के समग्र एक दिवसीय निवल जोखिम विदेशी मुद्रा को दर्शाए। निवल एक दिवसीय जोखिम विदेशी मुद्रा स्थिति का आकलन उपर्युक्त मास्टर परिपत्र के संलग्नक I में दिए गए अनुदेशों के आधार पर किया जाए।

3. उपर्युक्त एफसीवाई/ आईएनआर का - राशि को रुपए के सामने दर्ज किया जाए अर्थात् निवल एक दिवसीय जोखिम विदेशी मुद्रा में से परस्पर लेनदेन की मुद्रा, यदि कोई हो तो उसे घटाएं।

एफटीडी और जीपीबी विवरणों का फार्मेट
एफटीडी

विदेशी मुद्रा का दैनिक पण्यावर्त दर्शाने वाला विवरण दिनांक------------

		व्यापारी			अंतरबैंक		
		हाज़िर, नकद, तैयार, टी.टी. आदि	वायदा	वायदों का निरसन	हाज़िर	अदला बदली	वायदा
एफसीवाई/आइएनआर	से खरीदा गया						
	को बेचा गया						
एफसीवाई/एफसीवाई	से खरीदा गया						
	को बेचा गया						

जीपीबी

............को अंतराल, स्थिति और नकद शेष दर्शानेवाला विवरण

विदेशी मुद्रा शेष	:	मिलियन अमरीकी डॉलर में
(नकद शेष + सभी निवेश)	:	
निवल जोखिम विनिमय स्थिति (रुपये)	:	भारतीय करोड़ रुपए में ओ/बी (+)/ओ/एस (-)
एफसीवाई/ आईएनआर	:	करोड़ रुपए में
एजीएल रखा गया (अमरीकी डॉलर में)	:	वीएआर रखा गया (भारतीय रुपए में):

विदेशी मुद्रा परिपक्वता असंतुलन (मिलियन अमरीकी डॉलर में)

I माह	II माह	III माह	IV माह	V माह	VI माह	>VI माह

संलग्नक- III

[भाग डी, पैरा (ii) देखें]

माह _____________ के लिए नॉस्ट्रो / वॉस्ट्रो जमाशेष का विवरण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक का नाम और पता---

क्रम सं.	मुद्रा	नॉस्त्रो खाते में निवल जमाशेष	वॉस्त्रो खाते में निवल जमाशेष	
1.	अमरीकी डॉलर			
2.	यूरो			
3.	जापानी येन			
4.	ग्रेट ब्रिटेन पाउंड			
5.	रुपया			
6.	अन्य मुद्राएं (मिलियन अमरीकी डॉलर में)			

टिप्पणी : जिन मामलों में उक्त मदों में (1 से 5 तक) प्रतिमाह 10 प्रतिशत से अधिक घट-बढ़ है उन मामलों में उसका कारण, पाद-टिप्पणी के रूप में, संक्षिप्त रूप में दिया जाए।

उक्त विवरण निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 8वीं मंजिल, मुंबई- 400 001. फोन : 022- 22663791. फॅक्स : 022 - 2262 2993, 22660792 को संबोधित किया जाना चाहिए।

संलग्नक – IV

[भाग- डी , पैरा (iii) देखें]

परस्पर लेनदेन संबंधी मुद्रा व्युत्पन्न लेनदेन - ___________ को समाप्त अर्ध वार्षिक विवरण

उत्पाद	लेनदेन की संख्या	अनुमानित मूल राशि, अमरीकी डॉलर में
ब्याज दर स्वैप		
मुद्रा स्वैप		
कूपन स्वैप		
विदेशी मुद्रा विकल्प		
ब्याज दर कैप या कॉलर (खरीद)		
वायदा दर करार		
रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत अन्य कोई उत्पाद		

संलग्नक- V

[भाग डी, पैरा (iv)]

दिनांक ----------------------------को विदेशी मुद्रा के निवेशों से संबंधित जानकारी

दि.------को विदेशी मुद्रा में एक्स्पोजर से संबंधित जानकारी, बैंक का नाम---------										दि.------को विदेशी मुद्रा में एक्स्पोजर से संबंधित जानकारी, बैंक का नाम---------						सी.रुपया देयता पर आधारित भा.रुपया./ विदेशी मुद्रा(करेंसी) स्वाप (25 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य/से अधिक रिपोर्ट किए जाएं)
ए. अंतर्निहित लेनदेनों पर आधारित एक्स्पोजर तथा हेज़ेस (मिलियन अमरीकी डालर में)										बी. विगत निष्पादन पर आधारित एक्स्पोजर तथा हेज़ेस (मिलियन अमरीकी डालर में)						
क्र.सं.	कंपनी का नाम	व्यापार संबद्ध						व्यापारेतर		निर्यात			आयात			
		निर्यात		आयात		शेष अल्पकालिक वित्त										
		एक्स्पोजर	हेज राशि	एक्स्पोजर	हेज राशि	एक्स्पोजर	हेज राशि	एक्स्पोजर	हेज राशि	पात्र सीमा	हेज की संचयी राशि	शेष राशि	पात्र सीमा	हेज की संचयी राशि	शेष राशि	
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
टिप्पणी																

ए. खरीदे गए/भुनाए गए / वार्तातय निर्यात बिल सम्मिलित न किए जाएं।

बी. स्थापित साखपत्र/ साखपत्र के तहत निपटान हो चुके बिल/आयात आय की वसूली हेतु बकाया बिलों को सम्मिलित किया जाए।

सी. प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़े कंपनी के विवरण पर आधारित न होकर बैंक की बहियों पर आधारित हों।

डी. अल्पकालिक वित्त में बैंक/पीसीएफसी द्वारा अनुमोदित व्यापार ऋण (क्रेता ऋण/आपूर्तिकर्ता ऋण) का समावेश हो।

ई. व्यापारेतर एक्सपोजर में बैंक द्वारा किए गए बा.वा.उ., विमुप.बा. के मामले /विमुअ.(बैं) खातेगत ऋण आदि का समावेश हो।

एफ. कंपनी वार आंकड़े जहाँ एक्स्पोजर अथवा हेजेस 25 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य या उससे अधिक हों रिपोर्ट किए जाएं।

जी. सभी हेजेस जिनमें रुपया एक लेग के रूप में हो रिपोर्ट किए जाएं।

एच. विकल्प(आप्शन) स्ट्रक्चर के मामले में, उच्चतम नोशनल राशि वाले व्यापार रिपोर्ट किए जाएं।

आई. भारिबैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार परिगणित 25 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य या उससे अधिक आकलित हुई पात्र सीमा संबंधी मामलों में कंपनी वार आंकड़े, पार्ट "बी. में रिपोर्ट किए जाएं।

जे. भाग "बी" में हेज की गई राशि के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान बुक किए गए हेजेस का संचयी जोड़ रिपोर्ट किया जाए।

के. विगत वर्ष में बुक की गई संविदा राशि, जो बकाया है, को पार्ट "बी" में हेज की गई राशि तथा बकाया राशि में शामिल

नहीं किया जाएगा।	
एल. केवल वे मामले पार्ट "बी" में रिपोर्ट किए जाएं जिनमें बैंक ने कंपनियों को पीपी (PP) सीमा को मंजूरी दी हो।	
कृपया रिपोर्ट एक्सेल फार्मेट में ई-मेल से ecdcofmd@rbi.org.in एवं प्रतिलिपि fedcofmd@rbi.org.in पर भेजें।	

टिप्पणी : प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-**I** बैंक, उपर्युक्त तिमाही रिपोर्ट संशोधित फार्मेट के अनुसार सितंबर 2013 को समाप्त तिमाही से Extensible Business Reporting Language (XBRL) system द्वारा केवल आनलाइन प्रेषित करें जिका लिंक https://secweb.rbi.org.in/orfsxbrl/ है ।

संलग्नक VI

[भाग ए, खंड 1 पैराग्राफ 2 (जी) (ii) देखें]

विगत निष्पादन सुविधा के तहत बुक की गयी/रद्द की गयी राशियों की घोषणा का फॉर्मेट

(कंपनी के पत्र-शीर्ष पर)

दिनांक:

सेवा में,

(बैंक का नाम और पता)

महोदय

विषय: विगत निष्पादन सुविधा के तहत बुक की गयी/रद्द की गयी राशियों की घोषणा

हम, विशेषत: इस संबंध में (वचनपत्र) दिनांक ( ) को हमारे द्वारा आपको प्रस्तुत वचनपत्र के बारे में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक के पास विगत निष्पादन सुविधा पर आधारित विदेशी मुद्रागत निहित वायदा अथवा विकल्प संविदाओं की बुकिंग की सुविधा का हवाला देते हैं ।

उक्त वचनपत्र के अनुसरण में, हम एतद्वारा सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंकों के पास हमारे द्वारा बुक किये गये लेनदेनों की राशियों के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करते हैं ।

हम निम्नलिखित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक/कों से विगत निष्पादन सीमा की सुविधा का उपयोग कर रहे हैं:

फेमा विनियमावली के तहत यथा अनुमत उक्त विगत निष्पादन सुविधा के तहत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंकों के पास बुक की गयी/रद्द की गयी राशियों के संबंध में जानकारी नीचे दी जाती हैं :

(राशि अमरीकी डॉलर में)

विगत निष्पादन के तहत पात्र सीमा	अप्रैल से आज की तारीख तक सभी प्रा.व्या. के पास बुक की गयी संविदाओं की सकल राशि	अप्रैल से आज की तारीख तक सभी प्रा.व्या. के पास/के मार्फत रद्द की गयी संविदाओं की सकल राशि	आज की तारीख तक सभी प्रा.व्या. के पास शेष/ बकाया संविदाओं की राशि	आज की तारीख तक उपयोग में लाई गयी राशि (प्रलेखों की सुपुर्दगी द्वारा)	आज की तारीख में विगत निष्पादन के तहत उपलब्ध सीमा

धन्यवाद

भवदीय

कृते-------

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संलग्नक - VII

[भाग-ए, खंड I, पैरा 2 (जी) (iv) देखें]

आयात / निर्यात पण्यावर्त, अतिदेय आदि के ब्योरे दर्शानेवाला विवरण

ग्राहक का नाम :- ____

(मिलियन अमेरीकी डॉलर में राशि)

वित्तीय वर्ष (अप्रैल - मार्च)	टर्नओवर		टर्नओवर के अतिदेय बिलों का प्रतिशत		पिछले कार्य - निष्पादन पर वायदा रक्षा आधार पर बुकिंग के लिए वर्तमान सीमा	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
2011-12						
2012-13						
2013-14						

संलग्नक - VIII

[भाग-डी, पैरा (v) देखें]

विदेशी मुद्रा - रुपया ऑप्शन लेनदेन

[_________________को समाप्त सप्ताह के लिए]

I. विकल्प लेनदेन रिपोर्ट

क्रम सं.	व्यापार तारीख	ग्राहक/ पार्टी का नाम	अनुमानित (नोशनल)	क्रय/ विक्रय विकल्प	स्ट्राईक	परिपक्वता	प्रीमियम	प्रयोजन*

*व्यापार अथवा ग्राहक संबंधी तुलनपत्र का उल्लेख करें।

II. विकल्प स्थिति रिपोर्ट

करेंसी युग्म	अनुमानित बकाया		नेट पोर्टफोलियो डेल्टा	नेट पोर्टफोलियो गामा	नेट पोर्टफोलियो वेगा
	क्रय	विक्रय			
अमरीकी डॉलर - भारतीय रुपया	अमरीकी डॉलर	अमरीकी डॉलर	अमरीकी डॉलर		
यूरो - भारतीय रुपया	यूरो	यूरो	यूरो		
जापानी येन - भारतीय रुपया	जापानी येन	जापानी येन	जापानी येन		

(अन्य करेंसी पेयरों के लिए इसी प्रकार से)

<u>टोटल नेट ओपन ऑप्शन पोज़ीशन (आईएनआर)</u>

4 अप्रैल 2003 के एपी (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.92 में निर्धारित मेथोडालॉजी का उपयोग करके उपर्युक्त का पता लगाया जा सकता है।

III. पोर्टफोलियो डेल्टा रिपोर्ट में परिवर्तन

भारतीय रुपए में स्पॉट में 0.25 प्रतिशत वृद्धि (डॉलर-वृद्धि) के लिए अमरीकी डॉलर - भारतीय रुपए डेल्टा में परिवर्तन =

भारतीय रुपए में स्पॉट में 0.25 प्रतिशत वृद्धि (डॉलर-ह्रास) के लिए अमरीकी डॉलर - भारतीय रुपए डेल्टा में परिवर्तन =

इसी प्रकार, यूरो-भारतीय रुपए, जापानी येन-भारतीय रुपए, जैसे अन्य करेंसी पेयरों के लिए भारतीय रुपए में स्पॉट में 0.25 प्रतिशत परिवर्तन (एफसीवाई वृद्धि और मूल्य ह्रास अलग-अलग) के लिए डेल्टा में परिवर्तन।

IV. स्ट्राइक कंसंट्रेशन रिपोर्ट

	परिपक्वता समूह					
तय मूल्य	1 सप्ताह	2 सप्ताह	1 माह	2 माह	3 माह	> 3 माह

यह रिपोर्ट चालू हाजिर स्तर के आसपास 150 पैसे के दायरे के लिए तैयार की जानी चाहिए। संचयी स्थितियां दी जाए।

सभी राशियां मिलियन अमरीकी डॉलर में। जब बैंक कोई विकल्प स्वीकार करता है तो राशि धनात्मक दर्शायी जाए। जब बैंक कोई विकल्प का विक्रय करता है तो राशि ऋणात्मक दर्शायी जाए। **सभी रिपोर्ट मार्केट मेकरों द्वारा ई-मेल के माध्यम से fedcofmd@rbi.org.in को भेजी जाएं। रिपोर्टें प्रत्येक शुक्रवार की स्थिति के अनुसार तैयार की जाएं तथा अगले सोमवार तक भेजी जाएं।**

संलग्नक- IX

[भाग सी, पैरा 5 (ए) देखें]

समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार- दिनांक -----------------------------की रिपोर्ट

राशि (समतुल्य मिलियन अमरीकी डालर* में)

बैंक (स्विफ्ट कूट)	पिछली तिमाही .. .. के अंत में अक्षत स्तर - I पूंजी	1 जुलाई 2009 के " जोखिम प्रबंध और अंतर बैंक लेनदेन " पर मास्टर परिपत्र के भाग -सी , पैरा .5 (ए) के अनुसार उधार	रुपया स्त्रोतों की पुनः पूर्ति करने की सीमा से अधिक उधार@	बाह्य वाणिज्यिक उधार	औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग के निर्यात ऋण पर 01 जुलाई 2003 के मास्टर परिपत्र तथा 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 3/2000-आरबी के विनियम 4.2(iv) के अंतर्गत उधार	
					(ए) विदेशी मुद्रा में पोतलदान पूर्व ऋण व्यवस्था (पीसीएफसी)	(बी) बैंकर स्वीकृत सुविधा (बीएएफ/ विदेश में निर्यात बिलों की पुनर्भुनाई योजना (ईबीआर) उपलब्ध करने के लिए विदेश से ऋण
	A	1	2	3	4a	4b

स्तर II पूंजी में शामिल करने के लिए विदेशी मुद्रा में गौण ऋण	अन्य कोई संवर्ग (कृपया विशेष रूप से यहां इस स्तंभ में उल्लेख करें)	कुल (1+2+3+6)	कुल (1+2+3+4+6)	ए. के स्तर-I पूंजी के प्रतिशत के रूप में अभि-व्यक्त संवर्ग (1+2+3+6) के अंतर्गत उधार	ए. के स्तर-I पूंजी के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त संवर्ग (1+2+3+4+6) के अंतर्गत उधार
5	6	7	8	9	10

नोट :

* 1. परिवर्तन के लिए रिपोर्ट की तारीख को रिज़र्व बैंक संदर्भ दर और न्यूयार्क बंद दरों का उपयोग करें।

@ 2. दिनांक 24 मार्च 2004 के.ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.81 के पैरा 4 के अनुसार सुविधा फिलहाल निकाल दी गयी है।

संलग्नक-X

[भाग –ए, खंड ।, पैरा 1 (ii) (जी) देखें]

पिछले निष्पादन के आधार पर वायदा संविदाओं की बुकिंग -

दिनांक -------------------------की रिपोर्ट

बैंक का नाम ----------------------------

(अमरीकी डॉलर में)

माह के दौरान स्वीकृत कुल सीमाएं	संचयी स्वीकृत सीमाएं	बुक की गई संविदाओं की राशि			उपयोग में लाई गई राशि (प्रलेखों की सुपुर्दगी द्वारा)			रद्द की गई वायदा संविदाओं की राशि		
1	2	3			4			5		
		वायदा संविदा	विदेशी मुद्रा/ भारतीय रुपया विकल्प	क्रास करेंसी विकल्प	वायदा संविदा	विदेशी मुद्रा/भारतीय रुपया विकल्प	क्रास करेंसी विकल्प	वायदा संविदा	विदेशी मुद्रा/भारतीय रुपया विकल्प	क्रास करेंसी विकल्प

टिप्पणियां :

1. समग्र रूप में बैंक की स्थिति दर्शायी जाए।

2. वर्ष के दौरान स्तंभ 2, 3, 4 और 5 में दी गई राशियां संचयी स्थिति में होनी चाहिए। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया राशियों को आगे ले जाकर अगले वर्ष की सीमा में शामिल कर दिया जाएगा और इस प्रकार अगले वर्ष के लिए पात्र सीमाओं की गणना करते समय उसे शामिल किया जाएगा ।

संलग्नक - XI

[भाग ए, खंड।, पैराग्राफ 5ए (i) देखें]

ए.अंतर्राष्ट्रीय पण्य मंडियों/ बाज़ारों में पण्य मूल्य जोखिम की हेजिंग

1. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय पण्य मंडियों/ बाज़ारों में किसी पण्य (स्वर्ण, प्लैटिनम और चांदी को छोड़कर) के मूल्य संबंधी जोखिम की हेजिंग की अनुमति दे सकते हैं।

रिज़र्व बैंक को, आवश्यक समझे जाने पर, बैंकों को दी गई अनुमति को वापस लेने का अधिकार है।

2. कंपनियों को लेनदेनों की हेजिंग करने की अनुमति देने से पहले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक उनसे बोर्ड का संकल्प प्रस्तुत करने को कहें जिसमें दर्शाया गया हो (i) कि इन लेनदेनों में शामिल जोखिमों को बोर्ड समझता है (ii) हेजिंग लेनदेनों का स्वरूप, जो कंपनी आने वाले वर्ष में करेगी तथा (iii) कंपनी सिर्फ वहां हेजिंग लेनदेन करेगी जहां यह मूल्य जोखिम से संबंधित हो।

3. पण्यों के आयात/निर्यात पर मूल्य जोखिम के संबंध में लेनदेन हेज करने के लिए गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को अनुमति देने से पहले उन्हें अपनी प्रस्तावित हेजिंग कार्यनीति का संक्षिप्त विवरण प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत करना अपेक्षित है, अर्थात:-

- व्यवसाय/ कार्यकलाप का विवरण और जोखिम का स्वरूप,
- हेजिंग हेतु उपयोग में लाए जानेवाले प्रस्तावित लिखत,
- पण्य मंडियों और ब्रोकरों के नाम जिनके माध्यम से जोखिम की हेजिंग के लिए प्रस्ताव किया जा रहा है और ली जाने वाली प्रस्तावित ऋण सीमा (क्रेडिट लाइन)। संबंधित देश के विनियामक प्राधिकारी का नाम और पता भी दिया जाए,
- जोखिम (एक्सपोज़र) की मात्रा/औसत अवधि और/अथवा वर्ष में कुल पण्यावर्त और साथ ही उसकी अनुमानित (प्रत्याशित) चरम स्थितियां और गणना का आधार।

प्रबंध-तंत्र द्वारा अनुमोदित बोर्ड जोखिम प्रबंधन नीति की प्रतिलिपि जिसमें निम्नलिखित शामिल हों, उक्त विवरण के साथ प्रस्तुत की जाए;

- जोखिम की पहचान
- जोखिम की माप
- हेजिंग स्थिति के पुनर्मूल्यांकन और/अथवा निगरानी के संबंध में पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश और प्रक्रिया
- लेनदेन के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के नाम और पदनाम तथा लेनदेन की सीमाएं।

4. लेनदेन की सत्यता (सद्भाव) पर संदेह होने अथवा कंपनी के मूल्य जोखिम से संबंधित न होने की स्थिति में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक किसी हेजिंग लेनदेन से मना कर सकता है। वे शर्तें, जिनके अधीन प्राधिकृत व्यापारी हेजिंग की अनुमति देंगे और लेनदेन पर निगरानी के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत नीचे दिए गए हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंडियों/ बाज़ारों में घरेलू बिक्री/खरीद लेनदेनों के संबंध में हेजिंग, रिज़र्व बैंक द्वारा यथा अनुमोदित/ अनुमोदन किये जाने वाले कतिपय विनिर्दिष्ट लेनदेनों को छोड़कर, की अनुमति नहीं है बावजूद इसके कि घरेलू कीमत (मूल्य) पण्य के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से संबद्ध है। ग्राहक द्वारा हेजिंग कार्यकलाप शुरू करने से पहले उन्हें आवश्यक परामर्श दिया जाए।

5. प्राधिकृत व्यापारी बैंक उन कंपनियों के नाम जिन्हें पण्य हेजिंग की अनुमति दी गई है और उन पण्यों के नाम जिनकी हेजिंग की गई है, देते हुए 31 मार्च की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक रिपोर्ट प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग, मुंबई 400001 को एक महीने के अंदर भेजें।

6. हेजिंग लेनदेन करने के लिए ऐसे ग्राहकों से प्राप्त आवेदनों को, जो प्रत्यायोजित प्राधिकार के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I अनुमोदन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजना जारी रखें।

अंतर्राष्ट्रीय मंडियों/ बाज़ारों में हेजिंग लेनदेन करने के लिए शर्तें/ दिशा-निर्देश

1. हेजिंग लेनदेन का केन्द्र जोखिम नियंत्रण पर होगा। केवल प्रति संतुलन हेजिंग की अनुमति है।

2. सभी मानक विदेशी मुद्रा व्यापारिक भावी सौदे और ऑप्शन्स (केवल खरीद) की अनुमति है। यदि जोखिम प्रोफाइल अधिकार देती है तो कंपनी/ फर्म ओटीसी संविदा का भी उपयोग कर सकती है। कंपनी/ फर्म, जब तक प्रीमियम का सीधे अथवा निहित निवल आवक न हो, तब तक विकल्प की खरीद और बिक्री दोनों को साथ-साथ शामिल कर विकल्प कार्यनीति का मिश्रित उपयोग संलग्नक XVII में विस्तृत दिशानिर्देशों की शर्त पर कर सकती है। कंपनी/ फर्म को इस बात की अनुमति है कि वह किसी विकल्प स्थिति को उसी ब्रोकर के पास प्रति लेनदेन से रद्द कर सकती है।

3. कंपनी/ फर्म, प्राधिकृत व्यापारी I बैंक के पास एक विशेष खाता खोले। हेजिंग के प्रासंगिक सभी भुगतान/ प्राप्तियों को, रिज़र्व बैंक को भेजे बगैर, इस खाते के माध्यम से प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I द्वारा अंजाम दिया जाए।

4. ब्रोकर की माह के अंत की रिपोर्ट (रिपोर्टों) की एक प्रति जिसे कंपनी के वित्तीय नियंत्रक द्वारा विधिवत पुष्टिकृत/प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो, बैंक द्वारा सत्यापित की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी ऑफ-शोर स्थितियां फिज़िकल एक्सपोजरों द्वारा समर्थित हैं/ थीं।

5. ब्रोकर द्वारा प्रस्तुत आवधिक विवरण, विशेषकर बुक किए गए लेनदेन और क्लोज़ड आऊट संविदाएं और अंतिम निपटान में प्राप्य/ देय राशि के ब्योरे प्रस्तुत करनेवाले विवरणों की कंपनी/ फर्म जांच करें। असमायोजित मदों के संबंध में ब्रोकरों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाए एवं समायोजन तीन महीने के अंदर पूरा करा लिया जाए ।

6. कंपनी/ फर्म अंतरपणन/ सट्टा लेनदेन न करें। इस संबंध में लेनदेनों की निगरानी की जिम्मेदारी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I की होगी।

7. कंपनी/ फर्म सांविधिक लेखाकार से प्राप्त एक वार्षिक प्रमाणपत्र प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को प्रस्तुत करें। प्रमाणपत्र यह पुष्टि करें कि निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया है और कि कंपनी/ फर्म का आंतरिक नियंत्रण संतोषजनक है। ये प्रमाणपत्र आंतरिक लेखापरीक्षा/ निरीक्षण के लिए रिकार्ड में रखे जाएं।

बी. घरेलू क्रुड ऑयल रिफाइनिंग कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य जोखिम की हेजिंग

1. इस संलग्नक की मद (ए) और (बी) में दी गई शर्तों के साथ-साथ विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों व दिशा-निर्देशों के अनुसार हेजिंग केवल प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के मार्फत ही की जानी चाहिए ।

2. उपर्युक्त हेजिंग करने की अनुमति देने से पहले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अपने जोखिमों की हेजिंग करने में घेरलू क्रुड ऑयल रिफाइनिंग कंपनियां निम्नलिखित प्रावधानों का अनुपालन करें :

- उनके पास बोर्ड से अनुमोदित नीति होनी चाहिये जो उस नीति के समग्र ढाँचे को परिभाषित करती हो, जिसमें डेरिवेटिव कार्य किये जाएं और जोखिम नियंत्रित हो ।
- किसी विशिष्ट कार्यकलाप के लिए और ओटीसी मार्केट्स में भी कारोबार करने के लिए कंपनी के बोर्ड की मंजूरी प्राप्त की गयी हो।
- बोर्ड के अनुमोदन में दैनिक बाजार मूल्य को बहियों में अंकित करने की नीति, ओटीसी डेरिवेटिव के लिए अनुमत काउंटर पार्टियां आदि अनिवार्यत: सम्मिलित करने के संबंध में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये ।
- इस योजना के तहत हेजिंग सुविधा जारी रहने की अनुमति देने से पहले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक यह प्रमाणित कर लें कि घरेलू क्रुड ऑयल कंपनियों ने ओटीसी लेनदेनों की सूची छमाही आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत की है।

3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को 2 नवंबर 2011 के हमारे परिपत्र सं. बीपी.बीसी. 44/ 21.04.157/2006-07 के पैरा 8.3 में निहित "व्युत्पन्नों पर व्यापक दिशा-निर्देशों के अनुसार " ग्राहक द्वारा प्रयुक्त हेजिंग उत्पादों की "प्रयोक्ता उपयुक्तता " और "औचित्य" भी सुनिश्चित करना चाहिये ।

संलग्नक XII

अनुमत मार्ग

आयात और निर्यात या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अन्यथा अनुमोदित अन्य व्यापार में लगे हुए भारत में निवासी अंतर्राष्ट्रीय पण्य मंडियों/बाज़ारों में सभी पण्य कीमत जोखिमों की हेजिंग कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को प्रत्यायोजित प्राधिकार के दायरे में न आनेवाली कंपनियों/ फर्मों के पण्य हेजिंग के आवेदन किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग के माध्यम से उनकी विशिष्ट सिफारिश के साथ निम्नलिखित विवरण देते हुए रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किये जाएं:-

1.प्रस्तावित हेजिंग कार्यनीति का संक्षिप्त विवरण, अर्थात :

व्यवसाय/ कार्यकलाप का विवरण और जोखिम का स्वरूप,

हेजिंग के उपयोग में लाए जानेवाले प्रस्तावित लिखत,

पण्य मंडियों और ब्रोकरों के नाम जिनके माध्यम से जोखिम की हेजिंग के लिए प्रस्ताव किया जाता है और लिए जाने वाले प्रस्तावित ऋण। संबंधित देश में विनियामक प्राधिकरण का नाम और पता भी दिया जाए,

जोखिम (एक्सपोज़र)की मात्रा/औसत अवधि और/अथवा वर्ष में कुल पण्यावर्त और साथ में उसकी अनुमानित चरम स्थितियां और गणना का आधार।

2. प्रबंध-तंत्र द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंध नीति की प्रतिलिपि जिसमें निम्नलिखित शामिल हों ;

जोखिम की पहचान

जोखिम की माप

हेजिंग स्थिति के पुनर्मूल्यांकन और/अथवा निगरानी के संबंध में पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश और प्रक्रिया

लेनदेन करनेवाले अधिकारियों के नाम और पदनाम तथा सीमाएं

3.कोई अन्य संगत जानकारी

इस कार्यकलाप के लिए दिशा-निर्देश के साथ रिज़र्व बैंक द्वारा एक मुश्त अनुमोदन दिया जाएगा।

संलग्नक- XIII

[भाग ए, खंड II, पैरा 1 देखें]

विवरण - विदेशी संस्थागत निवेशक ग्राहकों द्वारा किए गए वायदा कवर के ब्योरे

माह -

भाग ए - बकाया वायदा कवर (पुनःबुकिंग के बगैर) के ब्योरे

विदेशी संस्थागत निवेशक का नाम:

वर्तमान बाज़ार मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर)

वायदा कवर के लिए पात्रता	बुक की गई वायदा संविदाएं		रद्द की गई वायदा संविदाएं		कुल बकाया वायदा कवर
	माह के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से माह	माह के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से माह	

भाग बी - रद्द करने तथा पुनः बुक करने के लिए अनुमत लेनदेनों के ब्योरे

विदेशी संस्थागत निवेशक का नाम:

वर्ष की शुरुआत में तय किए गए बाज़ार मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर)

वायदा कवर के लिए पात्रता	बुक की गई वायदा संविदाएं		रद्द की गई वायदा संविदाएं		कुल बकाया वायदा कवर
	माह के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से माह	माह के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से माह	

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का नाम :

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर :

दिनांक :

मुहर :

संलग्नक- XIV

[भाग डी, पैरा (X) देखें]

स्वयं की घोषणा के आधार पर बुक की गई और निरस्त की गई वायदा संविदाओं के ब्योरे-

दिनांक ------को समाप्त तिमाही का विवरण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

श्रेणी	बुक की गई वायदा संविदाएं		रद्द की गई वायदा संविदाएं	
	तिमाही के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से उक्त दिनांक तक	तिमाही के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से उक्त दिनांक तक
लघु और मझोले उद्यम				
व्यक्तिगत				
फर्म/कंपनियां				

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का नाम :

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर :

दिनांक :

मुहर :

संलग्नक- XV

[29 अक्तूबर 2007 का एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.15 एवं 7 अप्रैल 2014 का एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 119]

[भाग ए , खंड-1, का पैरा 1(iv) (डी) देखें]

निवासी व्यक्तियों, फर्म/कंपनियों द्वारा 250,000 अमरीकी डॉलर तक की विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं बुक करने के लिए आवेदनपत्र एवं घोषणापत्र

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

I. **आवेदक के ब्योरे**

(ए) नाम--------------------------------------

(बी) पता--------------------------------------

(सी) खाता संख्या---------------------------------

(डी) स्थायी खाता संख्या (पैन)-----------------------

II. **अपेक्षित विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं के ब्योरे**

1. राशि (करेंसी-युग्म स्पष्ट करें)-------------------------------------

2. अवधि---

III. **दिनांक --------------------------को बकाया वायदा संविदाओं की नोशनल कीमत**

वास्तविक/प्रत्याशित विप्रेषणों के ब्योरे

IV.

1. राशि

2. विप्रेषण समय-सारिणी

3. प्रयोजन

घोषणा

मैं ---(आवेदक का नाम) एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि भारत में ----------------------बैक -----------------(नामित शाखा) में बुक की गई विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं की कुल राशि 250,000 अमरीकी डॉलर (केवल दो लाख पचास हज़ार यू.एस.डॉलर) की नियत सीमा के भीतर है और प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ कि वायदा संविदाएं अनुमत चालू खाता और / अथवा पूँजी खाता लेनदेन कारोबार के लिए हैं । मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ कि मैंने अन्य किसी बैंक / शाखा में कोई विदेशी मुद्रा वायदा संविदा बुक नहीं की है। मैं विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं की बुकिंग के अंतर्निहित जोखिमों से अवगत हूँ ।

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

स्थान

दिनांक

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राहक श्री/सुश्री ----------------------(आवेदक का नाम) जिनका स्थायी खाता संख्या (पैन) ---------------है, दिनांक --------------से हमारे पास खाता सं.----------(खाता संख्या) के/की धारक हैं । * हम प्रमाणित करते हैं कि ग्राहक 'धन शोधन निवारक / अपने ग्राहक को जानिए' से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करता है/करती है और अपेक्षित " प्रयोक्ता उपयुक्तता " और " औचित्य " जांच करने के बाद पुष्टि करते हैं ।

प्राधिकृत अधिकारी का नाम व पदनाम

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक व मुहर * महीना/वर्ष

संलग्नक- XVI

[10 नवंबर 2008 का एपी (डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.35]

[भाग ए, खंड 1, पैरा 5 देखें]

समर्थनकारी पत्र(SLC) / बैंक गारंटी पत्र जारी करने के लिए दिशा-निर्देश/ शर्तें - पण्य हेजिंग लेनदेन

1. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, समर्थनकारी साख पत्र/ बैंक गारंटी केवल उन्ही मामलों में जारी कर सकते हैं, जो धनप्रेषण रिज़र्व बैंक द्वारा प्रत्यायोजित प्राधिकार अथवा समुद्रपारीय पण्य बचाव के लिए स्वीकृत विशिष्ट अनुमोदन के दायरे में आते हों।

2. जारीकर्ता बैंक को जोखिम के स्वरूप और उसकी सीमा के लिए अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति रखनी होगी जिसे बैंक ऐसे लेनदेनों के लिए वहन कर सकें और वह ग्राहक के ऋण जोखिमों का एक हिस्सा हो। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार,पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए ऐसे ऋण जोखिम भारित होने चाहिए।

3. कंपनी के अनुमोदित पण्य हेजिंग कारोबार के संबंध में मार्जिन राशि के भुगतान के विशिष्ट भुगतान दायित्वों को भरने के लिए समर्थनकारी साख पत्र/ बैंक गारंटी जारी कर सकते हैं।

4. विशिष्ट काउंटरपार्टियों को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई अधिकतम मार्जिन राशि के बराबर के लिए समर्थनकारी साख पत्र/ बैंक गारंटी जारी कर सकते हैं।

5. ग्राहक को उपलब्ध गैर-निधि आधारित सुविधा (समर्थनकारी साख पत्र/ बैंक गारंटी) पर पुनर्ग्रहणाधिकार बनाने के बाद अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए समर्थनकारी साख पत्र/ बैंक गारंटी जारी कर सकते हैं।

6. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि समुद्रपारीय पण्य जोखिम बचाव के लिए दिशा-निर्देशों का समुचित अनुपालन किया गया है।

7. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी के वित्तीय नियंत्रक द्वारा भली-भाँति पुष्टि की गई / प्रतिहस्ताक्षरित ब्रोकर द्वारा दी गई माह के अंत की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

8. सभी अपतटीय जोखिम प्रत्यक्ष निवेश द्वारा समर्थित हैं/ थे , यह सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा माह के अंत की ब्रोकर की रिपोर्ट नियमित रूप से सत्यापित की जाएगी।

यूजर को समुद्रपारीय पण्य की हेजिंग के लिए एक साथ खरीद तथा बिक्री के द्वारा संयुक्त ओटीसी विकल्प रणनीतियों को अपनाने की अनुमति देने संबंधी शर्तें :

उपयोगकर्ता (यूजर)-सूचीबद्ध कंपनियाँ या उनकी सहायक कंपनियाँ/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियां, जिनके कोष साझे के हैं तथा मूल कंपनी के खातों के साथ जिनके खातों का समेकन किया जाता है अथवा न्यूनतम रु. 200 करोड़ की निवल मालियत वाली गैर सूचीबद्ध कंपनियाँ, बशर्ते

ए) प्रत्येक रिपोर्टिंग तारिख को ऐसे सभी उत्पादों का उचित मूल्यन होता है;

बी) ऐसी कंपनियां जो ऐसे उत्पादों/संविदाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के अन्य लागू दिशानिर्देशों के साथ-साथ विवेकपूर्ण सिद्धांतों, जिनमें प्रत्याशित हानियों की पहचान करना और अप्राप्त लाभों को शामिल न करना अपेक्षित है, का पालन करती हैं;

सी) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की 2 दिसंबर 2005 की प्रेस प्रकाशनी में यथा विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में किए जाते हैं; और

डी) कंपनियां जिनके पास जोखिम प्रबंधन नीति है तथा उसमें इस आशय की विशिष्ट शर्त/प्रावधान है जो लागत घटाने संबंधी ढांचे के प्रकार/प्रकारों का उपयोग करने की अनुमति देती हों ।

(टिप्पणी: उपर्युक्त लेखांकन व्यवस्था, लेखांकन मानक 30/32 अथवा समतुल्य मानक अधिसूचित होने तक के लिए अस्थायी व्यवस्था है।)

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

बी) यूजरों द्वारा, अकेले /एकल आधार पर, आप्शंस लिखने की अनुमति नहीं है।

तथापि, यूजर कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रक्चर के भाग के रूप में आप्शंस लिख सकते हैं, बशर्ते प्रीमियम की निवल प्राप्ति न हो।

सी) लेवरेज्ड स्ट्रक्चर्स, डिजिटल आप्शंस, बैरियर आप्शंस और कई अन्य विदेशागत/जटिल (exotic) उत्पाद अनुमत नहीं हैं।

डी) शर्तों संबंधी दस्तावेज में आप्शंस की डेल्टा संबंधी बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

ई) दीर्घतर परिकल्पित स्ट्रक्चर का अंश, जो स्ट्रक्चर की अवधि के ऊपर परिगणित हुआ हो, को अंतर्निहित प्रयोजन के लिए शामिल किया जाएगा।

एफ) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को विदेशी मुद्रा परिचालनों (कारोबार) के आकार तथा यूजर की जोखिम प्रोफाइल के मद्देनज़र लगातार लाभप्रदता, आदि के संबंध में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को विनिर्दिष्ट करना चाहिए।

संलग्नक XVIII

अनिवासी निर्यातक/आयातक के संबंध में अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी फॉर्म

अनिवासी निर्यातक/आयातक का पंजीकृत नाम (यदि अनिवासी निर्यातक/आयातक कोई व्यक्ति है तो उसके नाम का उल्लेख करें)	
पंजीकृत संख्या (अनिवासी निर्यातक/आयातक कोई व्यक्ति है तो ऐसे मामले में उसकी विशिष्ट(युनिक) पहचान संख्या*)	
पंजीकृत पता (यदि अनिवासी निर्यातक/ आयातक कोई व्यक्ति है तो उसका स्थायी पता दें)	
अनिवासी निर्यातक/आयातक के बैंक का नाम	
अनिवासी निर्यातक/आयातक का बैंक खाता सं.	
अनिवासी निर्यातक/आयातक के साथ संबंधित बैंक के बैंकिंग संबंध की अवधि	

*अनिवासी निर्यातक/आयातक के देश में यथा प्रचलित अनिवासी निर्यातक/आयातक की असलियत को प्रमाणित करने वाले पासपोर्ट की संख्या, सोशल सिक्युरिटी सं., अथवा कोई युनिक संख्या

हम पुष्टि करते हैं कि अनिवासी निर्यातक/आयातक के समुद्रापारीय विप्रेषणकर्ता बैंक द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त सभी जानकारी सत्य और सही है ।

(प्राधिकृत व्यापारी बैंक के
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक: स्थान:

मुहर:

संलग्नक XIX

अनिवासी आयातक/निर्यातक द्वारा -------- को समाप्त तिमाही में किये गये डेरिवेटिव लेनदेनों की रिपोर्टिंग

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक का नाम

सुविधा का लाभ लेने वाले अनिवासी आयातकों/निर्यातकों की संख्या		किये गये डेरिवेटिव लेनदेनों की कुल राशि (भारतीय करोड़ रूपये)	
आयातक	निर्यातक	वायदा	विदेशी मुद्रा-रूपया विकल्प

संलग्नक XX

अनिवासी आयातक/निर्यातक द्वारा -------- को समाप्त तिमाही के लिए किये गये संदेहास्पद लेनदेनों की रिपोर्टिंग

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक का नाम-

क्रम सं.	अनिवासी निर्यातक / आयातक का नाम	समुद्रपारीय बैंक का नाम (मॉडल । के मामले में)	अंतर्निहित व्यापारिक लेनदेन मय राशि के जिनके सौदे रद्द करने के साथ-साथ रद्द किए गए डेरिवेटिव लेनदेनों की संख्या	प्रा.व्या.श्रेणी । बैंक द्वारा की गयी कार्रवाई

परिशिष्ट

जोखिम प्रबंध और अंतर बैंक लेनदेन के संबंध में इस मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों/ अधिसूचनाओं की सूची

क्रम सं.	अधिसूचना / परिपत्र	दिनांक
1.	अधिसूचना सं. फेमा.25/2000-आरबी	3 मई 2000
2.	अधिसूचना सं. फेमा.28/2000- आरबी	5 सितंबर 2000
3.	अधिसूचना सं. फेमा.54/2002- आरबी	5 मार्च 2002
4.	अधिसूचना सं. फेमा.66/2002- आरबी	27 जुलाई 2002
5.	अधिसूचना सं. फेमा.70/2002- आरबी	26 अगस्त 2002
6.	अधिसूचना सं. फेमा.81/2003- आरबी	8 जनवरी 2003
7.	अधिसूचना सं. फेमा 101/2003-आरबी	3 अक्तूबर 2003
8.	अधिसूचना सं. फेमा.104/2003-आरबी	21 अक्तूबर 2003
9.	अधिसूचना सं. फेमा.105/2003-आरबी	21 अक्तूबर 2003
10	अधिसूचना सं. फेमा.127/2005-आरबी	5 जनवरी 2005
11	अधिसूचना सं. फेमा.143/2005-आरबी	19 दिसंबर 2005
12	अधिसूचना सं. फेमा.147/2006-आरबी	16 मार्च 2006
13	अधिसूचना सं. फेमा.148/2006-आरबी	16 मार्च 2006
14	अधिसूचना सं. फेमा.159/2007-आरबी	17 सितंबर 2007
15	अधिसूचना सं. फेमा.177/2008-आरबी	1 अगस्त 2008
16	अधिसूचना सं. फेमा.191/2009-आरबी	20 मई 2009
17	अधिसूचना सं. फेमा.201/2009-आरबी	5 नवंबर 2009

18	अधिसूचना सं. फेमा.210/2010-आरबी	19 जुलाई 2010
19	अधिसूचना सं. फेमा.226/2012-आरबी	16 मार्च 2012
20	अधिसूचना सं. फेमा.240/2012-आरबी	25 सितंबर 2012
21	अधिसूचना सं. फेमा.286/2013-आरबी	5 सितंबर 2013
22	अधिसूचना सं. फेमा.288/2013-आरबी	26 सितंबर 2013
23	अधिसूचना सं. फेमा.303/2014-आरबी	21 मई 2014
1.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.92	4 अप्रैल 2003
2.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.93	5 अप्रैल 2003
3.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.98	29 अप्रैल 2003
4.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.108	21 जून 2003
5.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.28	17 अक्तूबर 2003
6.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 46	9 दिसंबर 2003
7.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 47	12 दिसंबर 2003
8.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 81	24 मार्च 2004
9.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 26	01 नवंबर 2004
10.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 47	23 जून 2005
11.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 03	23 जुलाई 2005
12.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 25	6 मार्च 2006
13.	ईसी.सीओ.एफएमडी.सं.8/02.03.75/2002-03	4 फरवरी 2003
14.	ईसी.सीओ.एफएमडी.सं.14/02.03.75/2002-03	9 मई 2003
15.	ईसी.सीओ.एफएमडी.सं.345/02.03.129(पॉलिसी)/2003-04	5 नवंबर 2003
16.	एफई.सीओ.एफएमडी.सं.1072/02.03.89/2004-05	8 फरवरी 2005

17.	एफई.सीओ.एफएमडी.सं.2/02.03.129(पॉलिसी) /2005-06	7 नवंबर 2005
18.	एफई.सीओ.एफएमडी.सं.21921/02.03.75/2005-06	17 अप्रैल 2006
19.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.21	13 दिसंबर 2006
20.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 22	13 दिसंबर 2006
21	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 32	8 फरवरी 2007
22.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 52	08 मई 2007
23	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 66	31 मई 2007
24.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 76	19 जून 2007
25	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 15	29 अक्तूबर 2007
26	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 17	06 नवंबर 2007
27.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 47	03 जून 2008
28.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 05	6 अगस्त 2008
29.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 23	15 अक्तूबर 2008
30.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 35	10 नवंबर 2008
31.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 50	4 फरवरी 2009
32.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 27	19 जनवरी 2010
33.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 05	30 जुलाई 2010
34.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 32	28 दिसंबर 2010
35.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 60	16 मई 2011
36.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 67	20 मई 2011
37.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 68	20 मई 2011
38.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 3	21 जुलाई 2011
39.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 50	23 नवंबर 2011

40.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 58	15 दिसंबर 2011
41.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 63	29 दिसंबर 2011
42.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 68	17 जनवरी 2012
43.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 122	09 मई 2012
44.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 3	11 जुलाई 2012
45.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.13	31 जुलाई 2012
46.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.21	31 अगस्त 2012
47.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.30	12 सितंबर 2012
48.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.45	22 अक्तूबर 2012
49.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.86	1 मार्च 2013
50.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.121	26 जून 2013
51.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.2	4 जुलाई 2013
52.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.7	8 जुलाई 2013
53.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.17	23 जुलाई 2013
54.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.18	1 अगस्त 2013
55.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.36	4 सितंबर 2013
56.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.40	10 सितंबर 2013
57.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.61	10 अक्तूबर 2013
58.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.92	13 जनवरी 2014
59.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.96	20 जनवरी 2014
60.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.114	27 मार्च 2014
61.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.119	7 अप्रैल 2014

62.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.135	27 मई 2014
63.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.147	20 जून 2014
64.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.148	20 जून 2014

इस परिपत्र को फेमा, 1999 और इसके अंतर्गत जारी किए गए नियमों/ विनियमों/ निर्देशों/ आदेशों/ अधिसूचनाओं के साथ पढ़ा जाए।